सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
सत्यमेव जयते

waves film bazaar

CREATIVE FIRST
www.creativefirst.film

ILA INTERNATIONAL LEGAL ALLIANCE
NETWORK OF LAWYERS

कॉपीराइट 101

क्रिएटर्स कॉम्पास

2025 संस्करण

इस पुस्तिका की सामग्री का उपयोग केवल संदर्भ एवं शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

इसे किसी भी परिस्थिति में कानूनी सलाह नहीं माना जाएगा।

के बारे में

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत की स्वतंत्रता के बाद स्थापित प्रारंभिक मंत्रालयों में से एक है और सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उन महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है जो जनता तक पहुंचने में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंत्रालय को संचार के पारंपरिक साधनों जैसे नृत्य, नाटक, लोक गायन, कठपुतली शो आदि माध्यमों सहित रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, सोशल मीडिया, मुद्रित प्रचार जैसे पुस्तिकाएं, पोस्ट, आउटडोर प्रचार को शामिल करते हुए जन संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से सरकार की नीतियों, स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रसार करने का दायित्व सौंपा गया है। यह मंत्रालय निजी प्रसारण क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों, लोक प्रसारण सेवा प्रसार भारती का संचालन, बहु-मीडिया विज्ञापन और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार, फिल्म प्रचार तथा प्रमाणन और प्रिंट मीडिया के विनियमन के संबंध में भी केंद्र बिंदु है।

लोक सेवा प्रसारण क्षेत्र में, मंत्रालय प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के माध्यम से आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबंधित मामलों का अवलोकन करता है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन का उपयोग और किसी विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन शामिल है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कार्यात्मक रुप से चार शाखाओं में संगठित है:

1. सूचना विंग
2. प्रसारण विंग
3. फिल्म विंग
4. डिजिटल मीडिया प्रभाग

वेव्स फिल्म बाजार, जिसे पहले फिल्म बाजार के नाम से जाना जाता था, 2007 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा शुरु किया गया था और यह दक्षिण एशिया के वैश्विक फिल्म बाजार के रुप में विकसित हुआ है। यह हर साल गोवा में प्रतिष्ठित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) के साथ आयोजित किया जाता है।

वेव्स फिल्म बाजार दक्षिण एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं, फिल्म निर्देशकों, बिक्री एजेंटों और महोत्सव कार्यक्रमकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रुप में कार्य करता है जहाँ वे रचनात्मक और वित्तीय साझेदारी को बढ़ावा देते हुए एक साथ आ सकते हैं। यह पांच दिवसीय आयोजन फिल्म निर्माण, निर्देशन और वितरण के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई विषय-वस्तु और प्रतिभा की खोज, समर्थन और प्रचार के साथ-साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वैश्विक फिल्मों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

पिछले कुछ वर्षों में लंच बॉक्स, मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ, चौथी कूट, किस्सा, शिप ऑफ थीसियस, तितली, कोर्ट, अन्हे घोड़े दा दान, मिस लवली, दम लगाके हईशा, लायर्स डाइस और तिथि जैसी फिल्में बाजार के एक या एक से अधिक कार्यक्रमों में प्रदर्शित हो चुकी हैं।

के बारे में

CREATIVE FIRST

www.creativefirst.film

क्रिएटिव फर्स्ट भारत में रचनात्मकता, नवाचार और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मीडिया और मनोरंजन उद्योग द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सामने लाने का एक मंच है, जो बदले में निवेश, नौकरियों और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। क्रिएटिव फ़र्स्ट कॉपीराइट के महत्व और रचनात्मक उद्योगों के प्रचार और संरक्षण पर गुणवत्तापूर्ण टिप्पणी, शोध और अतिरिक्त संसाधन प्रदान करता है।

हमारे ब्लॉग में योगदान देने के लिए, या
अधिक जानकारी के लिए, कृपया ईमेल करें

सुश्री लोहिता सुजीत
lohita.sujith@mpa-india.org
info@creativefirst.film

उद्योग अंतर्दृष्टि के लिए विजिट करें
www.creativefirst.film

ILA INTERNATIONAL LEGAL ALLIANCE
NETWORK OF LAWYERS

अक्सर ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिन्हें सीमा पार और बहुराष्ट्रीय विवादों के मामले में कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है और ऐसे समय में दुनिया भर में उन सहयोगियों की आवश्यकता होती है जो कानून के ऐसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हों। इंटरनेशनल लीगल अलायंस (आईएलए) की अवधारणा और विचार एक लंबी चर्चा एवं विमर्श के बाद सामने आया जिससे यह निष्कर्ष निकला कि विश्व स्तर पर कानून के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले वकीलों की अत्यंत आवश्यकता है। आईएलए भारत के मुंबई में स्थापित एक प्रैक्टिस है, जिसमें दुनिया भर के स्वतंत्र कानूनी पेशेवरों का नेटवर्क है। आईएलए लगातार अपने क्लाइंट्स के लिए उच्च गुणवत्ता और प्रभावी प्रतिनिधित्व और परिणाम प्रदान करता रहा है। आईएलए के नेटवर्क में भारत के कुछ सबसे सम्मानित वकील और एटॉर्नी शामिल हैं। आईएलए में हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों और क्षेत्र विशेषज्ञता को संयोजित करके अपने क्लाइंट्स के लिए महत्वपूर्ण मार्केट्स और क्षेत्रों में सीधे सीमा पार होने वाले समझौतों पर काम करते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए, ईमेल करें

सुदिशा मुखर्जी -advsudishamukherji@gmail.com

या
जमशेद मिस्त्री - info@internationallegalalliance.com

या देखें
www.internationallegalalliance.com

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
I	**ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म (ओसीसी प्लेटफॉर्म) और प्रोडक्शन हाउस के बीच कानूनी संबंध**	2
II	**कंटेंट निर्माण में कॉपीराइट** क. कॉपीराइट का पहला स्वामित्व ख. कॉपीराइट की अवधि ग. पब्लिक डोमेन में कृति घ. कॉपीराइट का निर्धारण और लाइसेंस ङ. रूपांतरण और व्युत्पन्न कार्य च. कॉपीराइट उल्लंघन छ. कॉपीराइट उल्लंघन के अपवाद ज. वैधानिक रॉयल्टी और कॉपीराइट सोसायटी झ. नैतिक अधिकार और कलाकारों के अधिकार	3
III	**फिल्म निर्माण के विभिन्न चरण और अनुबंध** **अ. विकास के चरण** क. सह-निर्माण अनुबंध ख. कार्यविधि के लिए अनुबंध ग. निर्माण सेवा के तहत अनुबंध घ. लाइसेंसिंग अनुबंध ङ. लेखक, निर्देशक और शो-रनर अनुबंध च. किसी भी अन्य पूर्व-आवश्यक अनुबंधों का निष्पादन **आ. प्री-प्रोडक्शन चरण** क. कन्ट्रीब्यूट करने वालों के साथ अनुबंध ख. एनओसी, अनुमति, लोकेशन रिलीज **इ. निर्माण: मुख्य फोटोग्राफी और पोस्ट प्रोडक्शन** **ई. डिस्ट्रीब्यूशन चरण** क. लाइसेंसिंग अनुबंध ख. सिंडिकेशन (समूहन) अनुबंध ग. असाइनमेंट अनुबंध घ. म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन अनुबंध **उ. अन्य अनुबंध** क. सिंक्रनाइज़ेशन लाइसेंस अनुबंध ख. इन-फिल्म ब्रांड प्लेसमेंट अनुबंध ग. कैरेक्टर (पात्र) लाइसेंसिंग अनुबंध	10
IV	**अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सह-निर्माण का उदय**	15
V	**भारत के मनोरंजन परितंत्र में आईपी समर्थित वित्तपोषण**	16
VI	**जोखिम प्रबंधन और बीमा**	17
VII	**वैकल्पिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और राजस्व स्त्रोत**	18

I. ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म (ओसीसी प्लेटफॉर्म) और प्रोडक्शन हाउस के बीच कानूनी संबंध

भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र इसके आर्थिक विकास की आधारशिला बन रहा है। इस क्षेत्र ने 2024[1] में भारत में 514 करोड़ रुपये (61 अरब अमेरिकी डॉलर) से अधिक की कमाई की और देश में 26.4 लाख नौकरियों का योगदान किया।

भारत में इंटरनेट आधारित कंटेंट की खपत लगातार बढ़ रही है। अमेजन प्राइम, जियो-हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, जी5, लायंसगेट, सोनी लिव, होइचोई, सन नेक्स्ट आदि जैसे ओसीसी प्लेटफॉर्म्स के उदय ने विचारों और निवेश में वृद्धि की है, जिससे कंटेंट निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अनुकूल माहौल बना है।

उपयोगकर्ता के व्यवहार, जैसे कि किफायती डेटा कीमतें, स्मार्टफोन का उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय कंटेंट की उपलब्धता और उपयोग, मुख्य रूप से ओसीसी प्लेटफ़ॉर्म को संचालित करते हैं। प्रत्येक ओसीसी प्लेटफार्म का उद्देश्य अपने दर्शकों को इस उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर अद्वितीय और सम्मोहक कंटेंट प्रदान करना है। परिणामस्वरुप, प्रोडक्शन हाउस और ओसीसी प्लेटफॉर्म एक साथ मिलकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाने वाले कंटेंट को बनाने, लाइसेंस देने, असाइन करने और क्यूरेट करने के नए अवसरों का पता लगाते हैं। कंटेंट निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन के इस नए डिजिटल युग में सफल होने के लिए, प्रोडक्शन हाउस को अवसरों की तलाश करने और ओसीसी प्लेटफार्मों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए सक्रिय होना चाहिए। ओसीसी प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन हाउसों को न केवल व्यापक दर्शकों तक पहुंच बनाने और अपने कंटेंट से राजस्व प्राप्त करने में मदद देते हैं, बल्कि उन्हें नए रचनात्मक विचारों को विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं।

कंटेंट निर्माण सहयोग पर आधारित एक प्रक्रिया है जिसमें कॉपीराइट निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, ओसीसी प्लेटफॉर्म के साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, प्रोडक्शन हाउस को एक मजबूत और स्पष्ट अनुबंधित समझौता करना महत्वपूर्ण होता है जो उनके समग्र सहयोग की शर्तों को परिभाषित करता है। इन समझौतों में विकास अनुबंध, निर्माण अनुबंध, नॉन डिस्क्लोजर अनुबंध, असाइनमेंट या लाइसेंस अनुबंध, कैरेक्टर लाइसेंस अनुबंध, सिंडिकेशन अनुबंध आदि शामिल हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन के महत्व ने हाल के दिनों में भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग में गति पकड़ी है और प्रोडक्शन हाउस/निर्माता और ओसीसी प्लेटफॉर्म अब सुरक्षित कानूनी और संविदात्मक ढांचे के माध्यम से कंटेंट के प्रसार और निर्माण के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं।

निर्माण अनुबंध सभी पक्षों को कंटेंट का सुचारु और प्रभावी ढंग से निर्माण करने और कंटेंट में मौजूद कृतियों के लिए तथा उनमें बौद्धिक संपदा अधिकारों का प्रवाह स्थापित करने में सक्षम बनाते हैं।

एक प्रोडक्शन हाउस का ओसीसी प्लेटफॉर्म के साथ संबंध चार प्रकार का हो सकता है:

i. ओसीसी प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर प्रोडक्शन हाउस को कमीशनिंग डील के माध्यम से कंटेंट बनाने का काम सौंपता है। कमीशनिंग सौदे शुरु से ही बौद्धिक संपदा अधिकारों के हस्तांतरण की एक स्पष्ट दिशा का निर्धारण करते हैं।
ii. प्रोडक्शन हाउस किसी समय सीमा और क्षेत्र के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हेतु मौजूदा कंटेंट को ओसीसी प्लेटफॉर्म पर लाइसेंस या सिंडिकेट कर सकता है।
iii. प्रोडक्शन हाउस ओसीसी प्लेटफॉर्म के साथ समझौते के आधार पर कंटेंट तैयार करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओसीसी प्लेटफॉर्म को लाइसेंस देता है।
iv. ओसीसी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन हाउस दोनों मिलकर कंटेंट का सह-निर्माण करते हैं, जिसमें बौद्धिक संपदा का स्वामित्व संयुक्त हो सकता है।।

[1] https://creativefirst.film/wp-content/uploads/2025/04/MPA_Deloitte_ECR_IN_Report_Final_27042025.pdf

II. कंटेंट निर्माण में कॉपीराइट

कंटेंट के निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में कॉपीराइट सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार है। कॉपीराइट अधिकारों का एक समूह है जो कॉपीराइट अधिनियम, 1957 ("अधिनियम") के अनुसार किसी भी साहित्यिक कृति, नाटकीय कृति, संगीत कृति, कलात्मक कृति, साउंड रिकॉर्डिंग या सिनेमैटोग्राफ फिल्म ("कृति") के लेखक को प्रदान किया जाता है और ऐसी कृतियों के स्वामित्व को कुछ कार्य करने और/या दूसरों को कुछ कार्य करने के लिए अधिकृत करने की अनुमति देता है।

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14, कृतियों में कॉपीराइट के लेखक/स्वामित्व को कुछ कार्य करने या करने के लिए अधिकृत करने का विशेष अधिकार प्रदान करती है, जैसे:

i. कंटेंट के रूप में कृति को पुनः प्रस्तुत करना;
ii. कृति को इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम में संग्रहीत करना;
iii. कृति की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जारी करना;
iv. कृति को सार्वजनिक रुप से करना या संप्रेषित करना;
v. कृति के संबंध में कोई भी सिनेमैटोग्राफ फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग बनाना;
vi. कृति का कोई भी अनुवाद और रुपांतरण करना।

क. कॉपीराइट का प्रथम स्वामित्व

अधिनियम की धारा 17 कॉपीराइट के स्वामित्व से संबंधित प्रावधान निर्धारित करती है। अधिनियम के अनुसार, किसी कृति का लेखक कॉपीराइट का प्रथम स्वामी होता है, उदाहरण के लिए, साहित्यिक कृति के मामले में लेखक ही लेखक होता है, संगीत कृति के मामले में संगीतकार ही लेखक होता है आदि। नीचे दी गई तालिका विभिन्न श्रेणियों की कृतियों के लिए उनके लेखकों को दर्शाती हैं [2]:

कृति	रचयिता
साहित्यिक या नाटक कृति	कृति के लेखक द्वारा निर्मित/लिखित
संगीत कृति	संगीतकार द्वारा निर्मित
कलात्मक कृति (फोटोग्राफ के अलावा)	कलाकार द्वारा निर्मित
फोटो	तस्वीर लेने वाले व्यक्ति
सिनेमेटोग्राफी फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग	निर्माता
साहित्यिक, नाटक, संगीतमय या कलात्मक कृति जो कंप्यूटर द्वारा बनाए गये हो	उस व्यक्ति द्वारा निर्मित/रचित जो उस रचना/कार्य को अस्तित्व में लाया

हालाँकि, कुछ स्थितियों में, किसी ***निश्चित कृति का स्वामित्व हमेशा उस कृति को सर्वप्रथम करने वाला नहीं हो सकता है,*** बशर्ते कि पक्षों के बीच समझौते में इसके विपरीत किसी अन्य बात पर सहमति न हो। उदाहरण के लिए, ओसीसी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन हाउस के बीच कमीशनिंग सौदे मुख्य रुप से उपरोक्त सिद्धांत पर आधारित होते हैं। कमीशनिंग समझौते के परिणामस्वरुप ओसीसी प्लेटफॉर्म के पक्ष में अधिकारों का पूर्ण हस्तांतरण हो जाता है, जिससे ओसीसी प्लेटफॉर्म कंटेंट में कॉपीराइट का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। यह कंटेंट बहुमूल्य विचार के लिए ओसीसी प्लेटफॉर्म के अनुरोध पर प्रोडक्शन हाउस द्वारा निर्मित किया जाता है। कमीशनिंग डील में, ओसीसी प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन हाउस को कंटेंट बनाने के लिए कमीशन देता है, प्रोडक्शन हाउस बदले में कार्य करने के लिए लेखक, निर्देशक, प्रमुख कलाकार, क्रू आदि को कमीशन देता है और बाद में इन योगदान देने वाले सहायकों से अधिकार प्रोडक्शन हाउस को मिलते हैं, और फिर यह अधिकार ओसीसी प्लेटफॉर्म को सौंप दिए जाते हैं।

इसी प्रकार, जब किसी सेवा कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी लेखक के नियोजन के दौरान किसी कृति को सृजित किया जाता है तो नियोक्ता कॉपीराइट का पहला स्वामी होगा जब तक कि कोई अन्य सहमति न हो। ऑडियो-विजुअल कंटेंट के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त सभी योगदानकर्ताओं को प्रोडक्शन हाउस द्वारा सेवाओं के लिए एक अनुबंध के तहत नियुक्त किया जाता है, उदाहरण के लिए, जब कोई निर्माता ऑडियो-विजुअल कंटेंट के लिए संगीत स्कोर तैयार करने के लिए किसी संगीतकार को नियुक्त करता है, तो संगीतकार द्वारा विकसित कृति इस अनुबंध के तहत प्रोडक्शन हाउस को सौंप दी जाती है, जिससे प्रोडक्शन हाउस कृति के कॉपीराइट का पहला स्वामी बन जाता है, इसमें मास्टर साउंड रिकॉर्डिंग और ज्यादातर मामलों में मास्टर साउंड रिकॉर्डिंग बनाने की प्रक्रिया में

[2] https://creativefirst.film/wp-content/uploads/2021/04/YourIPYourFuture-Final-Handbook.pdf

संगीतकार द्वारा विकसित स्क्रैच संस्करण भी शामिल होते हैं। हालाँकि, ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहाँ संगीतकार अनुबंध में यह शर्त रख सकता है कि संगीतकार संगीत के अस्वीकृत स्क्रैच संस्करणों के अधिकार अपने पास रखेगा। यदि दोनों पक्षकार इस शर्त पर सहमत होते हैं, तो प्रोडक्शन हाउस को संगीतकार की सेवाओं से उत्पन्न सभी परिणामों और आय का प्रथम स्वामी माना जाएगा, सिवाय उन स्क्रैच संस्करणों के जो अस्वीकृत हैं।

ख. कॉपीराइट की अवधि:

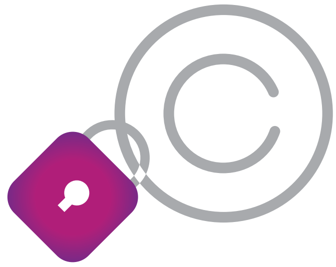

कॉपीराइट संरक्षण सदैव के लिए मौजूद नहीं रहता। अधिनियम विभिन्न प्रकार की कृतियों के लिए एक विशिष्ट अवधि निर्धारित करता है और ऐसी अवधि की समाप्ति पर कॉपीराइट संरक्षण समाप्त हो जाता है और कृतियाँ सार्वजनिक डोमेन में आ जाती हैं।[3]

मूल साहित्यिक, नाटक, संगीत और कलात्मक कृतियों के मामले में -
कॉपीराइट लेखक के जीवन काल की पूरी अवधि के लिए रहता है और लेखक की मृत्यु के बाद कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 (साठ) वर्षों तक निहित रहता है।

लेखक की मृत्यु के बाद तथा कृति के कॉपीराइट की अवधि समाप्त होने से पहले, कृति का स्वामित्व बदल जाता है: कॉपीराइट कृति का स्वामित्व अन्य मूर्त संपत्ति के समान माना जाता है तथा इसे वसीयत के माध्यम से किसी उत्तराधिकारी या तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जा सकता है, जैसा कि कॉपीराइट का स्वामित्व चाहता हो। यदि लेखक की निर्वसीयत मृत्यु हो जाती है, यानी वसीयत के बिना, तो कॉपीराइट उसके उत्तराधिकारियों या कानूनी रुप से उसके प्रतिनिधियों को उसकी संपत्ति के एक हिस्से के रुप में दिया जाता है और लागू कानून के अनुसार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित किया जाता है।

सिनेमैटोग्राफ फिल्मों और साउंड रिकॉर्डिंग के मामले में -
कॉपीराइट कृति के प्रथम प्रकाशन के वर्ष के बाद के कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 (साठ) वर्षों तक बना रहता है।

ग. पब्लिक डोमेन में कृति

एक बार जब कोई कृति पब्लिक डोमेन में आ जाती है, तो ऐसी कृति का उपयोग अप्रतिबंधित होता है और उसका उपयोग उल्लंघन नहीं माना जाता है। पब्लिक डोमेन' का अर्थ है कि किसी रचना की कॉपीराइट सुरक्षा अवधि समाप्त हो चुकी है और उस पर अब किसी का भी कॉपीराइट स्वामित्व नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि कॉपीराइट के संदर्भ में वह रचना अब अप्रतिबंधित हो गई है।

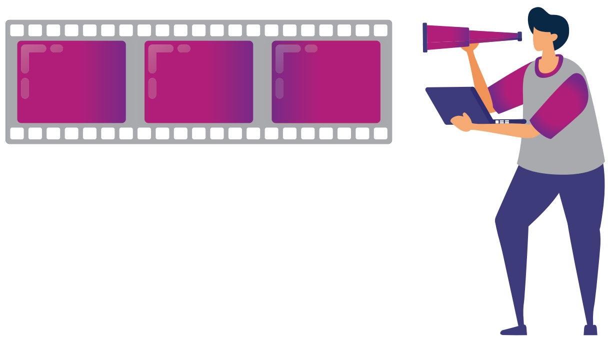

ऐसे दो उदाहरण हैं जिनमें कोई कृति पब्लिक डोमेन में आ सकती है-
(1) कृति की कॉपीराइट अवधि समाप्त होने पर और;
(2) जब लेखक कृति में कॉपीराइट का त्याग करता है।

यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि किसी कृति का सह-लेखन दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, तो ऐसी कृतियाँ अंतिम जीवित लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी।

यह निर्धारित करना कि कोई कृति पब्लिक डोमेन में है या नहीं:

किसी सिनेमैटोग्राफ फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग की कॉपीराइट अवधि, **फिल्म को जारी किए जाने के प्रथम वर्ष के बाद** वाले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्ष तक होती है। हालांकि, साहित्यिक और संगीत संबंधी जैसी मूलभूत कृतियों के लिए कॉपीराइट की अवधि लेखक के पूरे जीवनकाल तक बनी रहती है और लेखक की मृत्यु के वर्ष के बाद आने वाले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से 60 वर्षों तक जारी रहती है, जिससे मूलभूत कृतियों की कॉपीराइट सुरक्षा अवधि सिनेमैटोग्राफ फिल्म/साउंड रिकॉर्डिंग से भी अधिक लंबी हो जाती है। इसलिए, भले ही कोई सिनेमैटोग्राफ फिल्म और/या साउंड रिकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में आती हो, लेकिन सिनेमैटोग्राफ फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग को बनाने वाली मूलभूत कृतियां अभी भी कॉपीराइट संरक्षण के अंतर्गत हैं।

[3] https://copyright.gov.in/documents/copyrightrules1957.pdf

उदाहरण:
फिल्म: देवदास | गीत: बलम आए बसो मोरे मन में
फिल्म और गीत दोनों ही 1997 में सार्वजनिक डोमेन में आए।

- **1987** — **संगीतकार** तिमिर बरन का निधन हुआ था
- **1951** — **पटकथा लेखक** प्रमथेश बरुआ का निधन हुआ था
- **1997** — फिल्म और गीत दोनों ही पब्लिक डोमेन में आए।
- **1999** — **गीत और पटकथा लेखक** किदार नाथ शर्मा का निधन हुआ था
- **जनवरी 2048** — **संगीत रचना** पब्लिक डोमेन में आएगी
- **जनवरी 2060** — **पटकथा** पब्लिक डोमेन में आएगी। **गीत** पब्लिक डोमेन में आएंगे।

60 years

मूलभूत कृति:
गीत: किदार नाथ शर्मा का निधन 1999 में हुआ था; इसलिए, **गीत 1 जनवरी 2060 को पब्लिक डोमेन में आएंगे।**
संगीत: संगीतकार तिमिर बरन का निधन 1987 में हुआ था; इसलिए, **संगीत रचना 1 जनवरी 2048 को पब्लिक डोमेन में आएगी।**
पटकथा/स्क्रिप्ट: लेखक प्रमथेश बरुआ और किदार नाथ शर्मा फिल्म के पटकथा लेखक थे, जिनका क्रमशः 1951 और 1999 में निधन हो गया; तदनुसार, **पटकथा 1 जनवरी 2060 को पब्लिक डोमेन में आएगी।**

स्वीकार्य पब्लिक डोमेन उपयोग:

उपयोग	पब्लिक डोमेन और अनुमति
पब्लिक डोमेन में उपलब्ध ऑडियो-विजुअल कंटेंट को उसके वर्तमान स्वरुप में ही पुनः प्रस्तुत करना।	हां
गीत का एक डेरिवेटिव संस्करण तैयार करना	नहीं, क्योंकि यद्यपि साउंड रिकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में है, फिर भी मूलभूत कृति (गीत और रचना) अभी भी संरक्षित हैं और इसलिए, मूलभूत कृति के स्वामित्व से अनुमति की आवश्यकता होगी।
सिंक्रोनाइजेशन अधिकारों की अनुमति के बिना किसी अभिनेता के प्रदर्शन के माध्यम से फिल्म में गीत को शामिल करना	नहीं, क्योंकि मूलभूत कृति (गीत और रचना) अभी भी संरक्षित हैं और इसलिए, मूलभूत कृति के स्वामित्व से अनुमति की आवश्यकता होगी।
बिना दृश्य के गीत के स्टैंडअलोन ऑडियो बजाना	नहीं, क्योंकि मूलभूत कृति (गीत और रचना) अभी भी संरक्षित हैं और इसलिए, मूलभूत कृति के स्वामित्व से अनुमति की आवश्यकता होगी।
फिल्म का रुपांतरण	नहीं, क्योंकि मूलभूत कृति (पटकथा/स्क्रिप्ट) अभी भी संरक्षित हैं और इसलिए, मूलभूत कृति के स्वामित से अनुमति की आवश्यकता होगी।

घ. कॉपीराइट का निर्धारण और लाइसेंस

कॉपीराइट का निर्धारण: इसका अर्थ है: किसी निश्चित कृति में कॉपीराइट के स्वामित्व का हस्तांतरण, पूर्णतः या आंशिक रुप से, सीमित अवधि के लिए या संपूर्ण अवधि के लिए तथा विश्व के कुछ क्षेत्रों या विश्वव्यापी क्षेत्र के लिए।

अधिनियम, असाइनमेंट के आवश्यक तत्वों को निर्दिष्ट करता है, जिनके अभाव में कॉपीराइट का निर्धारण अमान्य है। असाइनमेंट के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं:

- असाइनमेंट लिखित रुप में होना चाहिए। सभी प्रोडक्शन अनुबंधों में आमतौर पर एक स्वामित्व खंड होता है जो अधिकारों के निर्धारण को व्यापक रुप से कवर करता है;
- असाइनर को विचारणीय बातों को आवश्यक रूप से बताना और रॉयल्टी का उल्लेख करना होगा;
- अधिनियम की धारा 19 (8) यह कहती है कि अधिकारों का हस्तांतरण कॉपीराइट मालिक को सौंपे गए अधिकारों के नियम और शर्तों के विपरीत नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि सभी प्रोडक्शन अनुबंधों/हस्तांतरण खंडों में इस धारा की छूट की आवश्यकता होती है।
- असाइनमेंट के लिए अवधि और क्षेत्र निर्दिष्ट करना आवश्यक है। यदि अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो इसे 5 वर्ष की अवधि माना जाएगा और यदि क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है, तो इसे भारत के क्षेत्र के लिए माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 19 (4) के अनुसार, यदि समनुदेशिती (अधिकार प्राप्तकर्ता) को सौंपे गए अधिकारों का उपयोग समनुदेशन (असाइनमेंट) की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि अधिकार समाप्त हो गए हैं। यह नियम तब लागू नहीं होता जब अधिकार प्राप्ति (असाइनमेंट) समझौते में विशेष रुप से यह प्रावधान किया गया हो कि अधिकार एक वर्ष बाद भी बने रहेंगे। सभी प्रोडक्शन अनुबंधों में धारा 19(4) की छूट पर विचार किया जा सकता है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि यदि असाइनमेंट की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वे समाप्त नहीं माने जाएंगे। उदाहरण के लिए, दो पक्ष एक फिल्म असाइनमेंट/अधिग्रहण डील करते हैं, जहां फिल्म का पहला मालिक (असाइनकर्ता) फिल्म के सभी नेगेटिव राइट्स, असाइनी को सौंप देता है। इस फिल्म असाइनमेंट/अधिग्रहण समझौते में धारा 19 (4) की छूट के अभाव में, यदि असाइनी, जिसने नेगेटिव राइट्स प्राप्त किए हैं, किसी भी कारण से असाइनमेंट की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए फिल्म में नेगेटिव राइट्स का उपयोग नहीं करता है, तो असाइनी को दिए गए अधिकार समाप्त हो जाएंगे और असाइनर को वापस कर दिए जाएंगे। तथापि, इस धारा की छूट से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि असाइनी को दिए गए अधिकार अनिश्चित काल के लिए प्रदान किए जाएंगे तथा उनका उपयोग न किए जाने के कारण उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा।

कॉपीराइट का लाइसेंस: जबकि असाइनमेंट में कृति के सभी अधिकारों का पूर्ण हस्तांतरण शामिल हो सकता है, लाइसेंस कॉपीराइट के स्वामित्व द्वारा लाइसेंसधारी को एक सीमित उद्देश्य और सीमित अवधि/क्षेत्र के लिए दी गई अनुमति है। अधिनियम की धारा 30ए के अनुसार, अधिनियम की धारा 19 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट किसी असाइनमेंट की सभी आवश्यक अपेक्षाएं उपयुक्त संशोधनों सहित लाइसेंस पर भी लागू होती हैं।

उदाहरण के लिए, एक निर्माता जिसने एक फिल्म का निर्माण किया है, वह एक निर्दिष्ट अवधि और एक निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए वितरण हेतु फिल्म को विशेष रुप से ओसीसी प्लेटफॉर्म को लाइसेंस दे सकता है। ऐसे मामले में, निर्माता प्रथम स्वामित्व के रूप में फिल्म के राईट्स अपने पास रखता है और किसी भी पक्ष द्वारा फिल्म का उपयोग अनन्य लाइसेंस की शर्तों और नियमों के अधीन होता है। यही कारण है कि, कुछ शो/फिल्में एक निश्चित अवधि के लिए एक ओसीसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होती हैं और अवधि समाप्त होने के बाद प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होंगी और/या नेटफ्लिक्स यूएसए पर उपलब्ध कुछ सामग्री नेटफ्लिक्स इंडिया पर देखने के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

इसी प्रकार, संगीत कार्यों के संबंध में एक अलग प्रकार का लाइसेंस प्रदान किया जाता है - जिसे सिंक्रोनाइजेशन लाइसेंस कहा जाता है। सिंक्रोनाइजेशन लाइसेंस, लाइसेंस प्राप्त करने वाले को किसी गीत की साउंड रिकॉर्डिंग को किसी फिल्म/सीरीज किसी भी ऑडियो-विजुअल कंटेंट के दृश्यों के साथ सिंक्रोनाइज करने की अनुमति देता है। अनेक विज्ञापन/टीवी विज्ञापन विज्ञापन और दृश्य के साथ मौजूदा संगीत का समन्वय करते हैं।

उदाहरण के लिए, आलिया भट्ट द्वारा अभिनीत चॉकलेट 'पर्क' के विज्ञापन में कलाकार रितविज के गीत 'उड़ गए' का पूरे विज्ञापन में उपयोग किया गया है।[4] एक और उदाहरण है फिल्म 'जाने तू या जाने ना' में आर.डी. बर्मन के गाने 'तेरा मुझसे है पहले' का इस्तेमाल। 'जाने तू या जाने ना' के मामले में, मूल गाने का इस्तेमाल फिल्म में कई बार किया गया था, जहाँ गाने के किरदारों ने इसे गाया/सुनाया था। तथापि, उपरोक्त वर्णित पर्क विज्ञापन में, उड़-गये गीत को यथावत उपयोग किया गया है और संगीत का उपयोग पक्षकारों के बीच सहमति आधारित नियमों और शर्तों के अधीन है।

[4] https://www.youtube.com/watch?v=ezyzON3q7Mo

ङ. रुपांतरण और व्युत्पन्न रचनाएँ:

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2(ए) के अनुसार, **'रुपांतरण'** में मूल कृति का रुपांतरण या परिवर्तन करना शामिल है। इसमें सार्वजनिक रुप से या अन्यथा प्रदर्शन के माध्यम से नाटकीय कृति को गैर-नाटकीय कृति में और साहित्यिक या कलात्मक कृति को नाटकीय कृति में परिवर्तित करना भी शामिल है। अधिनियम के अनुसार, कॉपीराइट के स्वामित्व को मूल साहित्यिक, नाटकीय या संगीतमय कृति का कोई भी रुपांतरण करने और/या बनाने को अधिकृत करने का अधिकार है। कॉपीराइट के स्वामित्व द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना या लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन में किया गया रुपांतरण कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय कंटेंट की बढ़ती मांग ने क्षेत्रीय बाजारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंटेंट के रीमेक और रुपांतरण को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, नेटफ्लिक्स ने 'क्लास' नामक एक हिंदी भाषा की ड्रामा-थ्रिलर रिलीज की, जिसे स्पेनिश वेब-सीरीज 'एलीट' से रुपांतरित किया गया है, डिजनी प्लस हॉटस्टार ने हिंदी में 'द नाइट मैनेजर' रिलीज की, जो इसी शीर्षक की अंग्रेजी सीरीज का रीमेक है और फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' 'फॉरेस्ट गंप' का भारतीय रुपांतरण थी। यह क्षेत्रीय कंटेंट के विकास में भी स्पष्ट है, जहां कई क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों/वेब सीरीजों, जैसे कबीर सिंह, दृश्यम, अंधाधुन आदि के कंटेंट के हिंदी में रुपांतरण और रीमेक में वृद्धि हुई है। एक पुस्तक/उपन्यास को ऑडियो-विजुअल कंटेंट में भी रुपांतरित किया जा सकता है, जिसका एक लोकप्रिय उदाहरण हैरी पॉटर फ्रैंचाइजी या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है। सभी हैरी पॉटर फिल्में जे.के. रोलिंग द्वारा लिखित हैरी पॉटर पुस्तकों का रुपांतरण हैं। भारतीय संदर्भ में, हिंदी फिल्म हैदर शेक्सपियर के नाटक हैमलेट का रुपांतरण थी।

इसी प्रकार, संगीत रीमिक्स भी संगीत रचनाओं के संबंध में रुपांतरण का एक उदाहरण है जिसमें मूल संगीत रचना में कुछ जोड़कर और/या उसकी व्यवस्था बदलकर परिवर्तन किया जाता है।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में 'व्युत्पन्न कार्य' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, व्युत्पन्न कार्य का सीधा अर्थ है कोई भी नया कार्य जो किसी पुराने कार्य के आधार पर बनाया गया हो। उदाहरण के लिए, किसी फीचर फिल्म के मामले में, उस फिल्म पर आधारित प्रीक्वल, सीक्वल, स्पिन-ऑफ, एनीमेशन, कॉमिक बुक आदि व्युत्पन्न कार्य होंगे।

च. कॉपीराइट उल्लंघन

कॉपीराइट उल्लंघन से तात्पर्य किसी भी कृति के अनधिकृत उपयोग से है, जिसका अनन्य अधिकार कॉपीराइट के स्वामित्व के पास निहित होता है। कृति के उपयोग के लिए लाइसेंस/सहमति के किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन भी कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी तीसरे पक्ष (कॉपीराइट का स्वामित्व तीसरे पक्ष के पास है) की साउंड रिकॉर्डिंग का उपयोग बिना लाइसेंस, सहमति या बिना अधिकृत हुए करना कॉपीराइट उल्लंघन माना जाता है। इसी प्रकार, जहां किसी को साउंड-रिकॉर्डिंग या उसके किसी भाग का उपयोग करने के लिए कुछ नियमों और शर्तों के अधीन अधिकृत/लाइसेंस दिया गया है, लेकिन वह ऐसे नियमों और शर्तों को दरकिनार करते हुए साउंड रिकॉर्डिंग का उपयोग करता है, तो ऐसा उपयोग भी कॉपीराइट उल्लंघन के अंतर्गत आता है। कॉपीराइट उल्लंघन से कॉपीराइट स्वामित्व के संभावित राजस्व की हानि होती है।

फिल्म की पटकथा, स्क्रीन-प्ले और संवादों के संबंध में भी कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। उदाहरण के लिए, 'परन जाय जोलिया रे' नामक एक बंगाली फिल्म के निर्माताओं पर बॉलीवुड फिल्म नमस्ते लंदन की कहानी की नकल करने का आरोप लगाया गया था।[5]

अधिनियम की धारा 51 में उन सामान्य स्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है, जिनमें शामिल हैं:

(i) कॉपीराइट धारक की अनुमति प्राप्त किए बिना किसी कृति का उपयोग करना और इस प्रकार कोई ऐसा कार्य करना जिसे अधिनियम के तहत केवल कॉपीराइट धारक ही करने के लिए अधिकृत है;
(ii) किसी भी स्थान के पक्ष को संचार करने, बेचने, वितरित करने या प्रदर्शन करने के लिए अधिकृत करना/अनुमति देना (जब तक कि ऐसा करने की अनुमति देने वाला व्यक्ति इस बात से अवगत न हो या उसके पास यह मानने का कोई कारण न हो कि ऐसी अनुमति के परिणामस्वरुप कॉपीराइट का उल्लंघन होगा);
(iii) किसी कृति की उल्लंघनकारी प्रतियाँ आयात करना;
(iv) कॉपीराइट धारक से प्राप्त उचित अनुमति के बिना किसी भी कृति का पुनर्निर्मित।

उल्लंघनकारी करने वाली प्रति में किसी भी कृति (सिनेमेटोग्राफ फिल्म के अलावा अन्य साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक कार्य), किसी भी माध्यम पर बनाई गई सिनेमेटोग्राफ फिल्म की प्रतिलिपि और साउंड रिकॉर्डिंग के संबंध में पहले की साउंड रिकॉर्डिंग को शामिल करते हुए बनाई गई किसी भी अन्य रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि शामिल है।

[5] https://indianexpress.com/article/cities/kolkata/high-court-bells-the-copycat-bans-blockbuster-poran-jay-joliya-re/

हालाँकि, निम्नलिखित कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं जहाँ फिल्म निर्माण और उपयोग की प्रक्रिया में कॉपीराइट का उल्लंघन किया जाता है:

(i) विकास/पूर्व-निर्माण/निर्माण और पोस्ट-प्रोडक्शन चरण में यह सुनिश्चित करना उपयुक्त है कि विकसित की जा रही पटकथा पूरी तरह से मौलिक है और इसमें कोई भी उल्लंघनकारी सामग्री शामिल नहीं है और न ही कोई साहित्यिक चोरी की गई है। यदि पटकथा पहले से लिखी गई पटकथा या पुस्तक या फिल्म या किसी अन्य तीसरे पक्ष के कंटेंट के आधार पर विकसित की जा रही है, तो कृति के विकास से पहले ऐसे तीसरे पक्ष की सामग्री के अधिकार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसी तरह, कोई भी रीमेक/रूपांतरण अधिकार प्राप्त किए बिना रीमेक/रूपांतरण नहीं बना सकता। बिना लाइसेंस के ऑडियो-विजुअल कंटेंट में किसी तीसरे पक्ष के गाने को शामिल करना भी उल्लंघन माना जाएगा।

(ii) जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामग्री में कोई उल्लंघनकारी सामग्री शामिल नहीं है, इसके लिए "चेक एंड बैलेंस" यानि नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली अपनाना आवश्यक है, जैसे अन्वेषण के चरण में इस प्रकार का उल्लंघन बाहरी हो सकता है, अर्थात, निर्मित सामग्री अनधिकृत पुनरुत्पादन, वितरण चोरी (फिजिकल और डिजिटल) आदि जैसे उल्लंघनों के अधीन हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई तीसरा पक्ष निर्माता से लाइसेंस प्राप्त किए बिना यूट्यूब या फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म पर फीचर फिल्म को पूर्ण या आंशिक रूप से अपलोड करता है, तो यह फिल्म को ऑनलाइन जनता के लिए उपलब्ध कराने के निर्माता के विशेष अधिकार का उल्लंघन होगा।

भारत में कॉपीराइट का उल्लंघन एक सिविल और आपराधिक दोनों तरह का अपराध है। यदि किसी निर्माता/प्रोडक्शन हाउस को लगता है कि उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किसी तीसरे पक्ष द्वारा किया गया है, तो उनके पास अधिनियम के तहत उपाय उपलब्ध हैं। ऐसे मामले में, निर्माता/प्रोडक्शन हाउस के लिए यह सलाह दी जाती है कि वह किसी कानूनी सलाहकार से कानूनी सलाह ले, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह कृत्य कानून के तहत कॉपीराइट उल्लंघन के अंतर्गत आता है, और फिर कानूनी रुप से आगे का रास्ता तय किया जा सके।

छ. कॉपीराइट उल्लंघन के अपवाद

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52 में कुछ ऐसे कार्यों की सूची दी गई है जो कॉपीराइट उल्लंघन नहीं माने जाते हैं, भले ही वे कॉपीराइट मालिक की अनुमति के बिना किए गए हों। यह धारा उन सीमित उपयोगों को अपवाद के रूप में अनुमति देती है जिन्हें अन्यथा उल्लंघन माना जा सकता है। धारा 52 के अंतर्गत सूची में दिए गए कुछ कार्यों में निजी या व्यक्तिगत उपयोग, व्यंग्य, आलोचना, समीक्षा, समाचार/समसामयिक मामलों की रिपोर्टिंग या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग शामिल हैं।

ज. वैधानिक रॉयल्टी और कॉपीराइट सोसायटी

'रॉयल्टी' अनिवार्य रूप से एक ऐसा भुगतान है जिसे किसी कृति/आधारभूत कृतियों का लेखक अपने द्वारा रचित कृतियों के प्रत्येक सार्वजनिक प्रदर्शन और/या बिक्री के साथ प्राप्त करने का हकदार होता है। उदाहरण के लिए, संगीतकार को रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार तब होता है जब उनके मूल गीत/कृति रेडियो या टेलीविजन पर सुनाए जाते हैं, संगीत समारोहों में प्रस्तुत किए जाते हैं, बार और रेस्तरां में बजाए जाते हैं या किसी भी संगीत स्ट्रीमिंग सेवाओं के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं। इस अधिनियम में 2012 में संशोधन किया गया था ताकि यह मान्यता दी जा सके कि संगीत और साहित्यिक कृतियों के लेखक जिनकी कृतियां सिनेमैटोग्राफ फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग में शामिल हैं, वे किसी भी रूप में अपनी कृतियों के उपयोग से रॉयल्टी प्राप्त करने के हकदार होंगे, सिवाय इसके कि जब सिनेमैटोग्राफ फिल्म को सिनेमा हॉल में जनता के समक्ष प्रदर्शित किया जाता है।

अधिनियम लेखकों को रॉयल्टी प्राप्त करने के अधिकार को छोड़ने और/या सौंपने की अनुमति नहीं देता, सिवाय इसके कि वे अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में या रॉयल्टी के संग्रह और वितरण के लिए किसी पंजीकृत कॉपीराइट सोसायटी को रॉयल्टी प्रदान करें। इसमें आगे यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि इसके विपरीत कोई भी समझौता अमान्य होगा।

कॉपीराइट सोसायटी, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 33 के तहत, कॉपीराइट की सामूहिक प्रशासन के लिए एक विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के लिए पंजीकृत और गठित की जाती हैं। ये सोसाइटी लेखकों और कॉपीराइट मालिकों द्वारा उनके अधिकारों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए स्थापित की जाती हैं। धारा 33 के तहत कॉपीराइट सोसाइटियों का मुख्य उद्देश्य लेखकों, संगीतकारों, गीतकारों और अन्य कॉपीराइट धारकों के हितों की रक्षा करना, उनके कार्यों के लिए सामूहिक रुप से लाइसेंसिंग का प्रबंधन करना और इसके अनुसरण में रॉयल्टी एकत्र करना है। कॉपीराइट सोसायटी न केवल अपने सदस्यों के कार्यों का व्यावसायिक प्रबंधन करती है, बल्कि तीसरे पक्ष के उल्लंघन को भी रोकती है और सदस्य की ओर से कानूनी कार्रवाई भी करती है।

भारत में पंजीकृत कॉपीराइट सोसायटियां:

इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड (IPRS)
एक सरकारी-अधिकृत और गैर-लाभकारी संगठन है जो संगीतकारों और गीतकारों के अधिकारों की रक्षा करता है

इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन (IRRO)
यह साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के पुनरुत्पादन अधिकारों का प्रबंधन करता है

सिनेफिल प्रोड्यूसर्स परफॉर्मेंस लिमिटेड
सिनेमैटोग्राफ फिल्म कार्यों के लिए कॉपीराइट की रक्षा करने वाला एक संगठन है

इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियन राइट्स एसोसिएशन (ISAMRA)
गायकों और संगीतकारों के अधिकारों की रक्षा करती है

स्क्रीनराइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SRAI)
फिल्मों, टीवी शो, ओटीटी कंटेंट आदि में प्रयुक्त साहित्यिक और नाटकीय कृतियों के पटकथा लेखकों के लिए (अर्थात, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, कहानी लेखक) कॉपीराइट की रक्षा करने वाला एक संगठन है

रिकॉर्डेड म्यूज़िक परफॉर्मेंस लिमिटेड (RMPL)
साउंड रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक प्रदर्शन, टेलीकास्टिंग और प्रसारण के लिए

कॉपीराइट सोसायटियों के बिना, लाइसेंसधारियों या उपयोगकर्ताओं को अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्तिगत अधिकार धारक से सीधे संपर्क करना होगा, जिससे यह प्रक्रिया बोझिल और समय लेने वाली हो जाएगी, क्योंकि इसमें कई मालिकों का पता लगाना और अलग-अलग शर्तों पर बातचीत करना शामिल होगा। एक कॉपीराइट सोसायटी अपने सभी सदस्यों की ओर से उपयोगकर्ताओं से रॉयल्टी एकत्र करके और तदनुसार प्रत्येक मालिक के हिस्से को वितरित करके इसे सरल बनाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉपीराइट अधिनियम के तहत, किसी लेखक के असाइनी, लेखक के रॉयल्टी के हिस्से का दावा नहीं कर सकते हैं; यह कार्य केवल एक पंजीकृत कॉपीराइट सोसायटी द्वारा ही किया जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि लेखकों को उनका उचित हक मिले।[6]

रॉयल्टी के लिए टैरिफ योजनाएं पंजीकृत कॉपीराइट सोसायटियों की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं और इनमें निम्नलिखित के लिए अलग-अलग दरें दर्शाई गई हैं: (i) उपयोगकर्ताओं की श्रेणियां; (ii) अन्वेषण का माध्यम; (iii) समूह, व्यक्ति द्वारा अन्वेषण और उपयोग का उद्देश्य; (iv) उपयोग की अवधि एवं क्षेत्र और (v) कोई अन्य कारक जो सोसाइटी द्वारा उचित समझा जाए। ये टैरिफ योजनाएं न्यायालयों या कॉपीराइट बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तय की जाती हैं। टैरिफ योजना के अनुसार रॉयल्टी एकत्रित होने पर, कॉपीराइट सोसायटी वितरण योजना के अनुसार लेखकों के बीच रॉयल्टी वितरित करती है।

नैतिक अधिकार और कलाकारों के अधिकार

अधिनियम की धारा 57 लेखकों के 'नैतिक अधिकारों' की रक्षा करती है। नैतिक अधिकार लेखक को कृतियों के गैर-आर्थिक उपयोग को रोकने में सहायक है और यह अधिनियम की धारा 38-बी और धारा 57 के तहत प्रदान किया गया है, जो क्रमशः कलाकारों और लेखकों से संबंधित है। उदाहरण के लिए, नैतिक अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: (क) पितृत्व का अधिकार, जिसे लेखकत्व या गुणारोपण का अधिकार भी कहा जाता है, किसी लेखक का अपनी बनाई गई कृति पर स्वामित्व और श्रेय का दावा करने का अधिकार है। (ख) सत्यनिष्ठा का अधिकार, यह अधिकार लेखक को यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि उनके काम में कोई अनुचित विकृति, विरुपण या संशोधन न किया जाए। हालाँकि, किसी काम को ऐसे तरीके से न प्रदर्शित करना जो लेखक की व्यक्तिगत संतुष्टि को पूरा न करे, आमतौर पर लेखक के नैतिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाता है।

लेखक के नैतिक अधिकार स्वाभाविक होते हैं और उनकी मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं (कॉपीराइट के विपरीत, नैतिक अधिकारों को कानूनी रूप से हस्तांतरित या विरासत में नहीं दिया जा सकता है)। नैतिक अधिकार लेखक की पहचान और अखंडता की रक्षा करते हैं और इन्हें बेचा, हस्तांतरित या उत्तराधिकार के माध्यम से पारित नहीं किया जा सकता है। भारतीय न्यायक्षेत्र के अंतर्गत नैतिक अधिकार भी अविभाज्य अधिकार हैं, अर्थात् उन्हें केवल एक निश्चित सीमा तक ही स्वेच्छा से त्यागा जा सकता है।

हालांकि, नैतिक अधिकारों का अधित्याग, निर्माता को लेखक के नैतिक अधिकार के उल्लंघन की चिंता किए बिना अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता का उपभोग करने की अनुमति देता है।उदाहरण के लिए, जावेद अख्तर ने अमाल और अरमान मलिक को कानूनी नोटिस भेजकर आरोप लगाया था कि 1996 में जब उन्होंने गाना "घर से निकलते ही" रिलीज किया तो इससे जावेद अख्तर के नैतिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। भूषण कुमार द्वारा रचित गाने में मूल गाने के "मुखड़े" का इस्तेमाल किया गया था। आरोप यह था कि गाने के नए संस्करण में जावेद अख्तर के नैतिक अधिकारों और विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि यह गाना मूल रूप से उनके द्वारा लिखा गया था। जावेद अख्तर ने तर्क दिया कि (क) नए संस्करण में - केवल एक गीतकार को मान्यता देकर - उनके पितृत्व के नैतिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है और (ख) नए संस्करण में उनकी सत्यनिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, अर्थात, उनके काम को उनके सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक तरीके से विकृत और विकृत किए जाने से रोकने के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। [7]

[6] https://iprmentlaw.com/wp-content/uploads/2021/04/Copyright-101_Handbook.pdf
[7] https://spicyip.com/2018/04/in-the-name-of-the-author-the-holy-mukhda-assessing-the-economics-of-moral-rights-part-i.html

III. फिल्म निर्माण के चरण और अनुबंध

अ. विकास के चरण

विकास के चरण में मुख्य रूप से ऑडियो-विजुअल कंटेंट की स्क्रिप्ट की योजना और अवधारणा शामिल है। पटकथा किसी पुस्तक, सच्ची कहानी या मौलिक अवधारणा पर आधारित हो सकती है। विकास चरण में लेखक/लेखकों, निर्देशक और शो-रनर को शामिल करना प्रमुख है, ताकि निर्माण शुरू होने से पहले ऑडियो-विजुअल कंटेंट और इसकी अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सके।

जहाँ प्रोडक्शन हाउस किसी ओसीसी प्लेटफॉर्म से निवेश प्राप्त करने के इच्छुक है, वहाँ डेवलपमेंट स्टेज के लिए स्क्रिप्ट की अवधारणा/पहले संस्करण को ओसीसी प्लेटफॉर्म के सामने प्रस्तुत करना और कमीशनिंग डील प्राप्त करना भी शामिल हो सकता है। इसी तरह, यदि प्रोडक्शन हाउस निवेश के अन्य साधनों की तलाश में है, तो डेवलपमेंट स्टेज में ऐसे निवेश के लिए बाहरी निवेशकों और/या सह-निर्माताओं के साथ हाथ मिलाना भी शामिल हो सकता है।

इसलिए, निम्नलिखित संविदात्मक समझौते विकास चरण के दौरान और/या उससे पहले प्रासंगिक हो सकते हैं जो पक्षों द्वारा सहमत वाणिज्यिक समझौते के प्रकार पर निर्भर करता है:

क. सह-निर्माण अनुबंध - सह-निर्माण अनुबंध दो या अधिक प्रोडक्शन कंपनियों के बीच या एक ओसीसी प्लेटफॉर्म और एक प्रोडक्शन हाउस के बीच एक समझौता है। यह अनुबंध कंटेंट निर्माण में प्रत्येक पक्ष की भूमिका और जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। दोनों पक्ष परियोजना से जुड़ी लागत, संसाधन और जोखिम को साझा करते हैं। सह-निर्माण अनुबंध विभिन्न रुप ले सकता है, जैसे कि एक पक्ष वित्तपोषण प्रदान करता है जबकि दूसरा पक्ष कंटेंट का संपादन और निर्माण करता है या दोनों पक्ष वित्तपोषण और कंटेंट के संपादन/विकास के लिए समान रुप से कार्य करते हैं। कई मामलों में सह-निर्माण अनुबंध में, ऑन-ग्राउंड निर्माण को किसी अन्य प्रोडक्शन हाउस को आउटसोर्स किया जा सकता है और पक्षों के बीच आपसी समझ के अनुसार उपयोग के लिए क्षेत्रों को विभाजित किया जा सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों को पक्षों द्वारा सहमत अनुपात में विभाजित किया जा सकता है।

संक्षेप में, सह-निर्माण अनुबंध में आम तौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं:

i. प्रत्येक सह-निर्माता का संबंधित योगदान, जैसे कि वित्तपोषण, उपकरण, कार्मिक, बौद्धिक संपदा और रचनात्मक इनपुट।
ii. स्वामित्व अधिकारों और वितरण अधिकारों का आवंटन, जिसमें राजस्व और लाभ को कैसे साझा किया जाएगा, यह भी शामिल है।
iii. प्रोडक्शन कार्यक्रम और समय-सीमा, जिसमें निर्माण के विभिन्न चरणों को पूरा करने की समय-सीमा शामिल है।
iv. बजट और वित्तीय व्यवस्था, जिसमें यह भी शामिल है कि लागत कैसे साझा की जाएगी और बजट के प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होगा।
v. विवाद समाधान प्रक्रिया, जिसमें सह-निर्माताओं के बीच मतभेदों को कैसे सुलझाया जाएगा, यह भी शामिल है। यह या तो

(i) एक विशेष क्षेत्राधिकार निर्धारित करके अदालत में जा सकता है - अर्थात, मामले/विवाद पर केवल समझौते में उल्लिखित अदालतों द्वारा ही विचार किया जा सकता है - उदाहरण के लिए, यदि दोनों पक्ष मुंबई में रहते/बाहर काम करते हैं, तो मुंबई की अदालतों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा और/या

(ii) मध्यस्थता/सुलह द्वारा - जहाँ समझौते में मध्यस्थता की शर्तें जैसे मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थता का स्थान आदि निर्धारित किए जाते हैं। अनुबंध के पक्षकार विवाद समाधान का वांछित तरीका चुन सकते हैं।

ख. विकास अनुबंध – ओसीसी प्लेटफ़ॉर्म द्वारा यह निर्णय लेने से पहले कि किसी सौदे को शुरु किया जाए या नहीं, दोनों पक्ष एक विकास समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें ओसीसी प्लेटफ़ॉर्म कंटेंट के विकास का कार्य सौंपता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार विकसित होने वाले कंटेंट से मिलने वाले सभी अधिकार उनके पास निहित हों।

ग. निर्माण सेवा के तहत अनुबंध- ओसीसी प्लेटफॉर्म को स्क्रिप्ट/पायलट एपिसोड प्रस्तुत करने के बाद, ओसीसी प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन हाउस को अपने अनुसार ऑडियो-विजुअल कंटेंट तैयार करने का काम सौंपता है। यह अनुबंध उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके तहत प्रोडक्शन हाउस ओसीसी प्लेटफॉर्म के लिए नया कंटेंट तैयार करेगा। अनुबंध में आमतौर पर कार्य का दायरा, बजट, समयसीमा और डिलिवरेबल्स जैसे पहलू शामिल होते हैं। प्रोडक्शन सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत, प्रोडक्शन हाउस एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है और बजट का एक निश्चित प्रतिशत (आमतौर पर बजट से नीचे जब तक अन्यथा सहमति न हो) या एकमुश्त राशि द्वारा प्राप्त होता है। ओसीसी प्लेटफॉर्म बौद्धिक संपदा अधिकारों का पूर्ण स्वामित्व रखता है।

घ. लाइसेंसिंग अनुबंध – ओसीसी प्लेटफॉर्म और प्रोडक्शन हाउस ऐसे कंटेंट के निर्माण के लिए अनुबंध करते हैं जो अभी तक बनाई नहीं गई है। इन अनुबंधों में, पक्ष एक प्रारंभिक निवेश राशि पर सहमत होते हैं और इस राशि के आधार पर प्रोडक्शन हाउस कंटेंट का निर्माण करता है। एक बार कंटेंट वितरित हो जाने पर, शेष राशि, जिस पर सहमति बनी थी, प्रोडक्शन हाउस को भुगतान कर दी जाती है। अनुबंध के एक भाग के रूप में, ओसीसी प्लेटफार्म को कुछ वर्षों और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कंटेंट हेतु विशेष लाइसेंस प्राप्त होता है, जिसका निर्धारण पक्षों के बीच वाणिज्यिक वार्ता के माध्यम से किया जाता है। इस अवधि के दौरान ओसीसी प्लेटफॉर्म के पास कंटेंट का मोनेटाइज करने का विशेष अधिकार भी होगा।

ड. लेखक, निर्देशक और शो-रनर अनुबंध - लेखक, निर्देशक और शो-रनर (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निर्माण के प्रवाह में तेजी बनाने, प्रमुख तत्वों की नियुक्ति और विकास आदि को निर्धारित करने के लिए प्री-प्रोडक्शन और मुख्य फोटोग्राफी शुरु करने से पहले प्रोडक्शन हाउस द्वारा की जाती है।

ञ. किसी भी अन्य पूर्व-आवश्यक अनुबंधों का निष्पादन-यदि ऑडियो-विजुअल कंटेंट किसी मौजूदा कृति का रुपांतरण है, तो प्रोडक्शन हाउस के लिए ऐसी मौजूदा कृति के अधिकार धारक के साथ उपयुक्त अनुबंध करना आवश्यक हो जाता है, ताकि प्रोडक्शन हाउस को ऑडियो-विजुअल कंटेंट सृजित करने में सक्षम बनाने के लिए मौजूदा कृति का स्पष्ट हस्तांतरण या अधिकार प्राप्त हो सकें। रुपांतरित ऑडियो-विजुअल कृति बनाने का इच्छुक पक्ष, मौजूदा कृति की प्रकृति के आधार पर, मौजूदा कृति के अधिकार धारक के साथ एक असाइनमेंट और/या लाइसेंस अनुबंध ("अधिकार अनुबंध") कर सकता है। अधिकार अनुबंध के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं:

- अधिकार धारक का यह प्रतिनिधित्व कि वह मौजूदा कृति में बौद्धिक संपदा अधिकारों का एकमात्र और अनन्य स्वामी है तथा इस अनुबंध के तहत अधिकारों को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत है;

- अधिकारों के हस्तांतरण स्थापित करने के लिए- विशिष्टता, सृजित की जाने वाली कृतियों के प्रकार, कृति की भाषा, कोई अन्य रोक/प्रतिबंध, उनके कोई अपवाद आदि। उदाहरण के लिए, यदि निर्मित किया जा रहा ऑडियो-विजुअल कंटेंट किसी पुस्तक का रुपांतरण है, तो पुस्तक का अधिकार धारक निर्माता को पुस्तक पर आधारित एक सिनेमैटोग्राफिक फिल्म, पॉडकास्ट आदि बनाने की अनुमति दे सकता है, हालांकि वेब-सीरीज़ बनाने का अधिकार अपने पास रख सकता है।

- ऑडियो-विजुअल कंटेंट में अधिकारों का स्वामित्व स्थापित करना।

- अधिकारों के हस्तांतरण के लिए राजस्व/क्षतिपूर्ति करना।

- ऑडियो-विजुअल कंटेंट में रचनात्मक नियंत्रण स्थापित करना। हालांकि, ऑडियो-विजुअल कंटेंट से संबंधित रचनात्मक निर्णय लेने के अधिकार निर्माता के पास ही रखने की सलाह दी जाती है, फिर भी कुछ मामलों में, अधिकार धारक सभी और/या कुछ तत्वों पर रचनात्मक अनुमोदन देने का अधिकार रख सकता है।

आ. प्री-प्रोडक्शन चरण

प्री-प्रोडक्शन चरण में अनिवार्य रुप से विकास चरण के दौरान निर्मित सामग्री पर आधारित अंतिम साहित्यिक कृतियां- स्क्रिप्ट, पटकथा, संवाद आदि- ऑडियो-विजुअल कंटेंट का निर्माण शामिल होता है। इसमें निर्माण कार्यक्रम की योजना बनाना, बजट का आवंटन, सीरीज के लिए मुख्य कलाकारों और क्रू को शामिल करना, विक्रेताओं को शामिल करना, स्थानों की सूची बनाना आदि शामिल हैं ताकि निर्माण चरण की तैयारी की जा सके। इसलिए, पूर्व-निर्माण चरण के दौरान और/या उससे पहले निम्नलिखित अनुबंधों की आवश्यकता हो सकती है:

क. कन्ट्रीब्यूट करने वालों के साथ अनुबंध ऐसे अनुबंध सभी कन्ट्रीब्यूट करने वालों के साथ निष्पादित किए जाते हैं, जिनमें कलाकार/अभिनेता, गायक, गीतकार, फोटोग्राफी निर्देशक (डीओपी), लाइन प्रोड्यूसर, निर्देशन टीम, लेखन टीम, कला निर्देशक, प्रोडक्शन डिजाइनर आदि शामिल हैं, लेकिन ये अनुबंध इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, इनमें सभी ऑडियो-विजुअल कंटेंट के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले भी शामिल होते हैं।

कार्य करने वालों के साथ अनुबंधों को आमतौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

1. **अबव द लाइन-** जिसमें ऑडियो-विजुअल कंटेंट के मुख्य कलाकार, संगीतकार, और लीड क्रू, जैसे डीओपी, निर्देशक शामिल हैं; और
2. **बिलो द लाइन-** जिसमें अन्य सभी सहायक कलाकार और क्रू, विक्रेता, तकनीशियन आदि शामिल हैं।

ख. एनओसी, अनुमति, लोकेशन रिलीज- मुख्य फोटोग्राफी शुरू करने से पहले आवश्यक प्राधिकरण और अनुमति प्राप्त करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए, इस दौरान सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि निर्माता रेकी के दौरान किसी स्थान का चयन करता है, तो निर्माता के लिए स्थान के उपयोग के संबंध में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने के लिए परिसर के मालिक के साथ लोकेशन रिलीज़ फॉर्म निष्पादित करना महत्वपूर्ण है। अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया जा सकता है जहां प्रोडक्शन हाउस को किसी अन्य व्यक्ति या निकाय से एक विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जहां एक ऑडियो-विजुअल कंटेंट में एक निर्माता किसी ब्रांड के ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है या आकस्मिक उपयोग के रूप में- निर्माता सावधानी के लिए ब्रांड से एनओसी ले सकता है।

इ. निर्माणः मुख्य फोटोग्राफी और पोस्ट प्रोडक्शन

मुख्य फोटोग्राफी अवधि, निर्माण कार्यक्रम की वह शूटिंग अवधि होती है जहां दृश्यों को पटकथा के अनुसार शूट किया जाता है। आमतौर पर इस चरण तक सभी सेवा प्रदाताओं के साथ कंट्रीब्यूटर अनुबंध निष्पादित किए गए हैं। हालांकि, निर्माता कुछ पोस्ट-प्रोडक्शन कर्मियों, जैसे एडिटर, वीएफएक्स आदि के साथ अनुबंध करने के लिए मुख्य फोटोग्राफी अवधि के अंत तक इंतजार कर सकता है। पोस्ट-प्रोडक्शन अवधि के दौरान, निर्माता ऑडियो-विजुअल कंटेंट के वितरण और उपयोग की योजना भी बनाना शुरू कर देता है। इस अवधि के दौरान और/या प्री-प्रोडक्शन के दौरान, निर्माता तीसरे पक्ष से अन्य लाइसेंस भी प्राप्त कर सकता है, जैसे ऑडियो-विजुअल कंटेंट के दृश्यों के साथ साउंड-रिकॉर्डिंग के समावेश और सिंक्रनाइज़ेशन के लिए सिंक्रोनाइजेशन लाइसेंस, निर्माताओं द्वारा करार किए गए ब्रांडों के साथ फिल्म में ब्रांड प्लेसमेंट/प्रमोशन अनुबंध निष्पादित करना आदि।

ई. डिस्ट्रीब्यूशन चरण

डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट निर्माण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ओसीसी प्लेटफ़ॉर्म से कमीशनिंग डील न होने पर, ऑडियो-विज़ुअल कंटेंट के निर्माताओं के लिए एक आकर्षक वितरण सौदा हासिल करना बेहद ज़रुरी हो जाता है। ऑडियो-विजुअल कंटेंट के वितरण में विभिन्न माध्यमों से उसका दोहन शामिल होता है, जिनमें बिना किसी सीमा के, सिनेमाघरों के माध्यम से दोहन, सैटेलाइट अधिकार, केबल अधिकार, इंटरनेट अधिकार, पे टीवी, फ्री टीवी, एयरबोर्न राइट्स आदि शामिल हैं। इसलिए, डिस्ट्रीब्यूशन चरण के दौरान निम्नलिखित प्रकार के अनुबंधों की आवश्यकता हो सकती है:

क. लाइसेंसिंग अनुबंध

लाइसेंसिंग अनुबंध में, लाइसेंसकर्ता (कंटेंट के आईपी का स्वामी) लाइसेंसधारी (आईपी का उपयोगकर्ता या इस मामले में प्लेटफ़ॉर्म) को कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, कंटेंट का उपयोग या दोहन करने का अधिकार देता है। ये शर्तें संबंधित कंटेंट के प्रकार, लाइसेंस के दायरे और संबंधित पक्षों की विशिष्ट आवश्यकताओं व अपेक्षाओं के आधार पर व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। लाइसेंसिंग अनुबंध दो मुख्य प्रकार के होते हैं: एक्सक्लूसिव और नॉन-एक्सक्लूसिव।

एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग अनुबंधः एक एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग अनुबंध में, लाइसेंसकर्ता (स्वामी) इस बात पर सहमत होता है कि जब तक लाइसेंस प्रभावी रहेगा, वह किसी और को कंटेंट के उपयोग के लिए कोई अन्य लाइसेंस नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि लाइसेंसधारी के पास अनुबंध की अवधि के दौरान आईपी का उपयोग और दोहन का विशेष (एक्सक्लूसिव) अधिकार होता है। एक्सक्लूसिव लाइसेंस का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब लाइसेंसकर्ता अपने कंटेंट के उपयोग पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, या जब लाइसेंसधारी को बाज़ार में एक गारंटीकृत विशिष्ट स्थिति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जब कोई कंटेंट अमेज़न प्राइम को एक्सक्लूसिव लाइसेंस के आधार पर प्रदान किया जाता है, तो अनुबंध की अवधि के दौरान, लाइसेंसकर्ता नेटफ्लिक्स जैसे किसी अन्य ओसीसी प्लेटफ़ॉर्म को राइट्स नहीं दे सकता है।

नॉन-एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग अनुबंधः एक नॉन-एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग अनुबंध में, लाइसेंसकर्ता अन्य पक्षों को लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार रखता है। नॉन-एक्सक्लूसिव लाइसेंस का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब लाइसेंसकर्ता विभिन्न बाजारों या एप्लिकेशंस में अपने कंटेंट के संभावित उपयोग को बढ़ाना चाहता है, या जब लाइसेंसधारी को कंटेंट तक पहुंच की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे एक्सक्लूसिव राइट्स की आवश्यकता नहीं होती है।

ख. सिंडिकेशन (समूहन) अनुबंध

सिंडिकेशन अनुबंध, कंटेंट के स्वामी और सिंडिकेटर (या प्रसारक/प्लेटफ़ॉर्म) के बीच अनुबंध होते हैं, जिसके तहत सिंडिकेटर को कंटेंट को व्यापक दर्शकों या बाज़ार में वितरित या प्रसारित करने का अधिकार दिया जाता है। कंटेंट में टीवी शो, फ़िल्में, समाचार कार्यक्रम, कार्टून, स्पोर्ट इवेंट या अन्य प्रकार का मीडिया कंटेंट शामिल हो सकता है। सिंडिकेशन अनुबंध, कंटेंट के स्वामियों को उनके कंटेंट से सिंडिकेशन या प्रसारण के माध्यम से व्यापक दर्शकों तक पहुंचकर कमाई करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके बदले में, सिंडिकेटर अपने लक्षित दर्शकों के बीच लोकप्रिय कंटेंट प्राप्त करके या अपने शेड्यूल में प्रोग्रामिंग अंतराल को कम करके लाभ कमा सकता है।

सिंडिकेशन अनुबंध अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, जो संबंधित पक्षों की विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर निर्भर करते हैं। आमतौर पर, इनमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल होते हैं:

i. सिंडिकेशन राइट्स में अनुबंध की अवधि, शामिल भौगोलिक क्षेत्र तथा मीडिया प्लेटफॉर्म या चैनलों के प्रकार शामिल हैं, जहां कंटेंट को सिंडिकेट या प्रसारित किया जाएगा।
ii. कंटेंट स्वामी को किया जाने वाला भुगतान, जिसमें अग्रिम शुल्क, राजस्व साझाकरण या अन्य वित्तीय व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं।
iii. पक्षों के निर्माण और वितरण संबंधी दायित्वों में यह भी शामिल है कि कंटेंट के सृजन और वितरण के लिए कौन उत्तरदायी होगा, तथा इसके वितरण और प्रचार के लिए कौन उत्तरदायी होगा।
iv. बौद्धिक संपदा अधिकार और स्वामित्व, जिसमें कंटेंट से संबंधित कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या अन्य आईपी का स्वामित्व शामिल है।
v. प्रत्येक पक्ष द्वारा दी गई वारंटी और अभ्यावेदन, जिसमें कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने का वादा और तीसरे पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन न करना शामिल हैं।

ग. असाइनमेंट अनुबंध

कंटेंट के लिए असाइनमेंट अनुबंध में, किसी विशेष कंटेंट का स्वामी उस कंटेंट का स्वामित्व किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित करता है। कंटेंट में विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदा -जैसे स्क्रिप्ट, स्क्रीनप्ले, संगीत, वीडियो, फ़िल्में, वेब-सीरीज़, वृत्तचित्र, या कोई अन्य रचनात्मक कृति- शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कलाकार/म्यूजिक बैंड एकमुश्त असाइनमेंट शुल्क के बदले में अपनी पूरी संगीत सूची सोनी म्यूज़िक/टिप्स/टी-सीरीज़ जैसे किसी संगीत लेबल को स्थायी रुप से सौंप सकता है।

कंटेंट के लिए असाइनमेंट अनुबंध का उद्देश्य कंटेंट के सभी अधिकार और स्वामित्व मूल स्वामी से असाइनी (हस्तान्तरिती) को हस्तांतरित करना है। इसके बाद असाइनी को कंटेंट का उपयोग, रीप्रोड्यूस, वितरित करने और किसी भी तरह से कमाई करने का अधिकार होता है, जैसा वह उचित समझे। स्वामित्व के हस्तांतरण के बदले में, असाइनर को आमतौर पर एकमुश्त भुगतान किया जाता है।

स्वामित्व की श्रृंखला: स्वामित्व की श्रृंखला का सीधा सा अर्थ है किसी विशेष कृति में अधिकारों के प्रवाह का निर्धारण करना। जब किसी कृति को कई बार सौंपा और अधिग्रहित किया जाता है, तो प्रत्येक असाइनमेंट और अधिग्रहण के साथ स्वामित्व बदल जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक सौदे में दिए गए/प्राप्त अधिकारों में भिन्नता हो सकती है। इसलिए, स्वामित्व श्रृंखला का निर्धारण करने से निर्माता को न केवल अधिकारों के प्रवाह (यानी, पहला स्वामी/निर्माता कौन था और वर्तमान में अधिकार किसके पास हैं) का पता लगाने में मदद मिलती है, बल्कि स्वामित्व श्रृंखला में दिए गए/प्राप्त अधिकारों का भी पता लगाने में मदद मिलती है। स्वामित्व की श्रृंखला का निर्धारण करने के लिए एक व्यापक यथोचित परिश्रम किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त अधिकार स्वतंत्र रुप से हस्तांतरित किए जा सकते हैं और हस्तांतरिती (असाइनी) किसी भी बाधा के साथ अधिकार प्राप्त नहीं कर रहा है जो उसके उपयोग के अधिकारों में बाधा डाल सकता है।

घ. म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन अनुबंध

कुछ मामलों में, विशेष रुप से बड़े प्रोडक्शन हाउस म्यूजिक और ऑडियो राइट्स (यानी, साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड रिकॉर्डिंग के ऑडियो-विजुअल राइट्स) एक म्यूजिक लेबल को सौंप देते हैं। टी-सीरीज़, टिप्स, सारेगामा आदि जैसे म्यूजिक लेबल आमतौर पर ऑडियो-विजुअल कंटेंट, विशेष रुप से फिल्मों के म्यूजिक राइट्स का उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदते हैं और/या प्राप्त करते हैं। इसलिए, संगीत वितरण एक असाइनमेंट और/या लाइसेंस हो सकता है और इसका उपयोग पक्षों के बीच सहमति के नियमों और शर्तों के अधीन है।

3. अन्य अनुबंध

क. सिंक्रोनाइज़ेशन लाइसेंस अनुबंध:
ऑडियो-विज़ुअल कंटेंट में शामिल करने के लिए ऑडियो/साउंड रिकॉर्डिंग को कुछ विज़ुअल के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन लाइसेंस प्राप्त किए जाते हैं। लाइसेंस में साउंड रिकॉर्डिंग का यथावत उपयोग शामिल हो सकता है और/या ओरिजनल साउंड रिकॉर्डिंग के पुनः निर्माण/नए संस्करण की अनुमति हो सकती है और फिर नए संस्करण को ऑडियो-विज़ुअल कंटेंट के विज़ुअल के साथ सिंक्रोनाइज़ किया जा सकता है। सिंक्रोनाइज़ेशन लाइसेंस में आमतौर पर निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल होते हैं:

i. **लाइसेंस शुल्क:** प्रदान किए गए अधिकारों के बदले लाइसेंसधारी (प्रोडक्शन हाउस/निर्माता) द्वारा लाइसेंसकर्ता (साउंड-रिकॉर्डिंग के कॉपीराइट स्वामी) को भुगतान किया जाने वाला शुल्क;
ii. **उपयोग:** चाहे साउंड रिकॉर्डिंग का उपयोग यथावत आधार पर किया जाएगा या अन्यथा;
iii. **ऑडियो-विज़ुअल कंटेंट में उपयोग:** (i) साउंड-रिकॉर्डिंग की अवधि की पहचान करना जिसे सिंक किया जाएगा और; (ii) उस दृश्य की पहचान करना जिसमें सिंक की गई क्लिप का उपयोग किया जाएगा।
iv. **प्रतिबंध:** साउंड-रिकॉर्डिंग का उपयोग आमतौर पर लाइसेंस की शर्तों और ऑडियो-विज़ुअल कंटेंट के प्रचार तक सीमित होता है और साउंड-रिकॉर्डिंग या सिंक की गई क्लिप के किसी भी स्वतंत्र उपयोग को स्पष्ट रुप से प्रतिबंधित करता है। लाइसेंसकर्ता द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर कई अन्य प्रतिबंध/अपवाद शामिल किए जा सकते हैं।
v. **राइट्स:** यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ओरिजनल साउंड-रिकॉर्डिंग, साउंड रिकॉर्डिंग का नया संस्करण (यदि कोई हो), सिंक की गई क्लिप आदि के राइट्स किसके पास होंगे।

ख. इन-फिल्म ब्रांड प्लेसमेंट अनुबंध:
इन-फिल्म ब्रांडिंग निर्माताओं के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। इसमें अनिवार्य रुप से फिल्म/सीरीज के विभिन्न दृश्यों में "प्रोडक्ट प्लेसमेंट" या "ब्रांड प्लेसमेंट" शामिल होता है और फिल्म/सीरीज और प्रोडक्ट/ब्रांड के बीच एक संबंध स्थापित होता है। इन-फिल्म ब्रांड प्लेसमेंट अनुबंध आमतौर पर ऐसे ब्रांड एकीकरण के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, ब्रांड फिल्म/सीरीज में ऐसे ब्रांड एकीकरण और ब्रांड प्रचार में कंटेंट के और अधिक उपयोग के बदले निर्माता को एक निश्चित शुल्क का भुगतान करता है। सिंक्रोनाइज़ेशन लाइसेंस की तरह, इस तरह के प्लेसमेंट के सटीक तरीके, दृश्य, अवधि आदि की पहचान करना महत्वपूर्ण है।

ग. कैरेक्टर (पात्र) लाइसेंसिंग अनुबंध:
पात्र किसी भी पुस्तक/पटकथा के सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक तत्वों में से एक होते हैं। जबरदस्त और अच्छी तरह से लिखा हुआ पात्र एक अच्छी कहानी का आधार होता है। उदाहरण के लिए, डिज़्नी के सभी पात्र या मार्वल और डीसी सुपरहीरो का यूनिवर्स बौद्धिक संपदा (आईपी) पर आधारित है।

प्रत्येक साहित्यिक पात्र, जिसे विकसित किया जाता है या लिखा जाता है, कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित होता है; और किसी विशेष पात्र का उपयोग करने के लिए, व्यक्ति को ऐसे उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता है। कैरेक्टर लाइसेंसिंग की शुरुआत बीट्रिक्स पॉटर से हुई, जिन्होंने "द टेल ऑफ़ पीटर रैबिट" नामक बच्चों की किताब लिखी। उन्होंने अंततः मुख्य पात्र पीटर रैबिट[8] की डॉल्स बेचना शुरु कर दिया।

कैरेक्टर लाइसेंसिंग अनुबंध आईपी लाइसेंस अनुबंधों की तरह ही होते हैं।

[8] https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/how-beatrix-poter-invented-character-merchandising-180961979/

IV. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सह-निर्माण का उदय

भारतीय कंटेंट उद्योग अभूतपूर्व विकास और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ग्रैंड व्यू रिसर्च[9] के अनुसार, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन मार्केट 2025 से 2030 तक 16.6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। यह तीव्र वृद्धि वैश्विक स्तर पर कंटेंट सृजन, वितरण और उपभोग के तरीके को नया रुप दे रही है।

इस बदलाव का एक प्रमुख कारक ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों के साथ **द्विपक्षीय सह-निर्माण संधियों** में भारत की सक्रिय भागीदारी है। ये संधियां सरकारों के बीच औपचारिक अनुबंध हैं जो संयुक्त फिल्म और कंटेंट प्रोजेक्ट को दोनों देशों में राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण के रुप में मान्यता देती हैं। परिणामस्वरुप, सह-निर्मित कंटेंट दोनों देशों में स्थानीय सब्सिडी, कर प्रोत्साहन, लोक प्रसारक तक पहुंच और महोत्सव में सम्मान जैसे लाभों के लिए पात्र हो जाता है।

क. सह-निर्माण संधियां - ये किस तरह मदद करती हैं

द्विपक्षीय सह-निर्माण संधियों में आम तौर पर शामिल हैं:

i. **राष्ट्रीय सहायता:** सह-निर्मित कृतियों को दोनों देशों में घरेलू माना जाता है, जिससे वे सरकारी सब्सिडी और वित्तपोषण के लिए पात्र हो जाते हैं।

ii. **राष्ट्रीय स्तर पर समान व्यवहार,** यह सुनिश्चित करना कि सह-निर्माण को घरेलू निर्माणों के समान वित्तीय और अवसंरचनात्मक लाभ प्राप्त हो सकें;

iii. • बौद्धिक संपदा के स्वामित्व और राजस्व साझा करने संबंधी दिशानिर्देश, अधिकारों के न्यायसंगत दोहन की अनुमति देते हैं;

iv. • सांस्कृतिक प्रावधान, दोनों देशों के संतुलित प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन और कंटेंट संबंधी मानदंडों का अनुपालन;

v. • क्षेत्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच, व्यापक वितरण और विस्तार का समर्थन।

देश जिनके साथ सह-निर्माण संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं[10]

*साथी देश वर्ष (हस्ताक्षरित/घोषित)

[9]https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/digital-content-creation-market/india
[10]https://mib.gov.in/documents/notification/Other-communication?page=1&utm_
[11]https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2065093&utm_

ख. भारत को रणनीतिक लाभ

1. **वैश्विक पूंजी और संसाधनों तक पहुंच:** भारतीय निर्माता प्रायः कम वित्तीय जोखिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण योजनाओं, उन्नत प्रोडक्शन अवसंरचना और प्रतिभा पूल का लाभ उठा सकते हैं।
2. **डिस्ट्रीब्यूशन का विस्तार:** आधिकारिक सह-निर्माणों को अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों, ओसीसी प्लेटफार्मों और थियेटरों तक आसान पहुंच प्राप्त होती है, जिससे भारतीय कंटेंट की पहुंच बढ़ जाती है।
3. **कौशल एवं ज्ञान का आदान-प्रदान:** अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ सहयोग तकनीकी कौशल विकास और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देता है, जिससे भारतीय उद्योग में क्षमता निर्माण में योगदान मिलता है।
4. **क्षेत्रीय और स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन:** ये संधियां क्षेत्रीय भाषा के कंटेंट निर्माताओं और स्वतंत्र निर्माताओं को राष्ट्रीय सीमाओं से परे विस्तार करने का अवसर भी प्रदान करती हैं।
5. **सांस्कृतिक कूटनीति:** सह-निर्माण सॉफ्ट पावर के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, जो भारत की विविधता, विरासत और समकालीन कहानियों को वैश्विक दर्शकों के समक्ष प्रदर्शित करते हैं।

भारत और साझेदार देशों के बीच उल्लेखनीय सह-निर्माणों में ब्रिटेन के साथ द *कोलोनियल डिटेक्टिव एंड लाल कप्तान*, तथा ऑस्ट्रेलिया-भारत संधि के तहत ओशन्स ब्रिज शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक अंतर-सांस्कृतिक कहानी कहने और सहयोगी फिल्म निर्माण का उदाहरण है।

V. भारत के मनोरंजन परितंत्र में आईपी-समर्थित वित्तपोषण

भारत की कंटेंट आधारित अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुज़र रही है, जहां बौद्धिक संपदा को अब केवल एक रचनात्मक उत्पाद के रुप में नहीं, बल्कि एक प्रभावी वित्तीय साधन के रूप में देखा जाता है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फ़ाउंडेशन (आईबीईएफ)[12] के अनुसार, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र ने अकेले 2023 की तीसरी तिमाही में 269 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के आठ बड़े सौदे दर्ज किए—जो रचनात्मक परिसंपत्ति-समर्थित वित्तपोषण में निवेशकों के विश्वास का एक स्पष्ट संकेतक है। यह एक पूर्ण रूप से तैयार बाज़ार का संकेत देता है जहां म्यूजिक लाइब्रेरी, फ़िल्म कैटलॉग और स्ट्रीमिंग राइट्स का तेज़ी से परिष्कृत वित्तीय साधनों के माध्यम से मोनेटाइज किया जा रहा है।

इस क्रमिक विकास के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक सोनी म्यूज़िक पब्लिशिंग का टिप्स म्यूज़िक[13] के साथ बहु-वर्षीय अनुबंध है। इस ऐतिहासिक सौदे में 24 भाषाओं में 32,000 गीतों का संग्रह शामिल है, जो एक सांस्कृतिक भंडार को एक उच्च-मूल्य वाली वित्तीय परिसंपत्ति में बदल देता है। इस तरह के कैटलॉग-आधारित अनुबंध वैश्विक अधिकार प्रबंधन और संगीत आईपी के मोनेटाइज की ओर रणनीतिक बदलाव को रेखांकित करते हैं, जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। इसी प्रकार, ईएनआईएल का 'गाना' के साथ, अमेज़न का एमएक्स प्लेयर के साथ, और सारेगामा का पॉकेट एसेस के साथ विलय[14] , व्यवस्थित मुद्रीकरण और आईपी-समर्थित किराए पर देने के लिए कंटेंट लाइब्रेरी को समेकित करने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

स्ट्रीमिंग युग ने खासकर संगीत और फिल्म में पारदर्शी राजस्व-साझाकरण मॉडल के औपचारिकीकरण को भी बढ़ावा दिया है। सुव्यवस्थित अनुबंधों में अब अक्सर संगीतकारों, गीतकारों और पटकथा लेखकों के लिए क्रेडिट व पारिश्रमिक राशि शामिल होती है, जिससे उनके रचनात्मक योगदान को अधिक मापनीय और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।

डिजिटल राइट्स के मोनेटाइज में तेज़ी के साथ, ओमडिया[15] के डेटा से पता चलता है कि 2023 में रिकॉर्डेड म्यूजिक की खुदरा बिक्री में 14.5% की वृद्धि हुई, जिससे कुल भारतीय बाज़ार मूल्य 365.5 मिलियन डॉलर का हो गया। विकास के प्रमुख कारकों में सिंक लाइसेंसिंग, सीमा-पार डिजिटल वितरण और राजस्व पूर्वानुमान के लिए बेहतर विश्लेषण शामिल हैं। **हालांकि, अभी भी कई बड़ी बाधाएं हैं। तकनीकी नवाचार इन कमियों को पाटने में मदद कर रहे हैं। एलिक्सपार्टनर्स 2025[16] आउटलुक में बंडल स्ट्रीमिंग मॉडल, ब्लॉकचेन-सक्षम राइट्स ट्रैकिंग, एआई-आधारित आईपी मूल्यांकन उपकरण और ओटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट जैसे नवाचारों पर प्रकाश डाला गया है। ये प्रगति न केवल पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाती है, बल्कि सौदों को पूरा करने में भी तेज़ी लाती है और निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है।**

[12] https://www.ibef.org/industry/media-entertainment-india
[13]https://economictimes.indiatimes.com/industry/media/entertainment/sony-music-publishing-renews-exclusive-global-deal-with-tips-music/articleshow/118715141.cms?from=mdr
[14]https://www.afaqs.com/news/media/heres-how-indias-media-companies-merged-and-acquired-their-way-through-2024-8448447
[15]https://omdia.tech.informa.com/om127792/india-music-industry-update-january-2025
[16]https://www.alixpartners.com/media/ow1n5vey/2025-media-entertainment-industry-predictions-report.pdf

भविष्य को देखते हुए, एवन रिवर वेंचर्स [17] का सुझाव है कि भारत में कॉर्पोरेट आईपी मोनेटाइज में वृद्धि, बेहतर कानूनी ढांचा और अधिक आधुनिक वित्तीय संरचनाएं देखने को मिलेंगी। क्रिएटर्स के लिए सिफारिशों में विस्तृत अधिकार प्रलेखन बनाए रखना, राजस्व स्रोतों में विविधता लाना और डीआरएम तकनीकों में निवेश करना शामिल है। वित्तीय संस्थानों को रचनात्मक बौद्धिक संपदा आकलन दल बनाने, लचीले क्रेडिट मॉडल तैयार करने और प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट राजस्व मेट्रिक्स को अंडरराइटिंग प्रोटोकॉल में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये सभी प्रयास मिलकर एक मज़बूत आईपी-वित्तपोषण परितंत्र का आधार बन सकते हैं जो भारत के रचनात्मक क्षेत्र को बदलने में सक्षम है।

VI. जोखिम प्रबंधन और बीमा

चूंकि बौद्धिक संपदा रचनात्मक वित्तपोषण का आधार बनती जा रही है, इसलिए निर्माताओं और फाइनेंसरों दोनों के लिए मज़बूत जोखिम प्रबंधन रणनीतियां अपरिहार्य हैं। डिजिटल वितरण की बदलती प्रकृति, जटिल अधिकार संरचनाएं और सीमा-पार सहयोग कानूनी, वित्तीय और परिचालन संबंधी खामियों के जोखिम को बढ़ाते हैं। हाल के उद्योग विश्लेषण के अनुसार[18], 2025 के लिए मनोरंजन क्षेत्र में प्रमुख व्यावसायिक जोखिमों में व्यावसायिक व्यवधान (40%) और साइबर घटनाएं (40%) शामिल हैं, जो मीडिया उद्यमों की स्थिरता में बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

प्रोडक्शन इंश्योरेंस ने कंटेंट सृजन के बहुआयामी जोखिमों से निपटने के लिए हाल के वर्षों में अपने कवरेज का व्यापक विस्तार किया है। अब इसमें

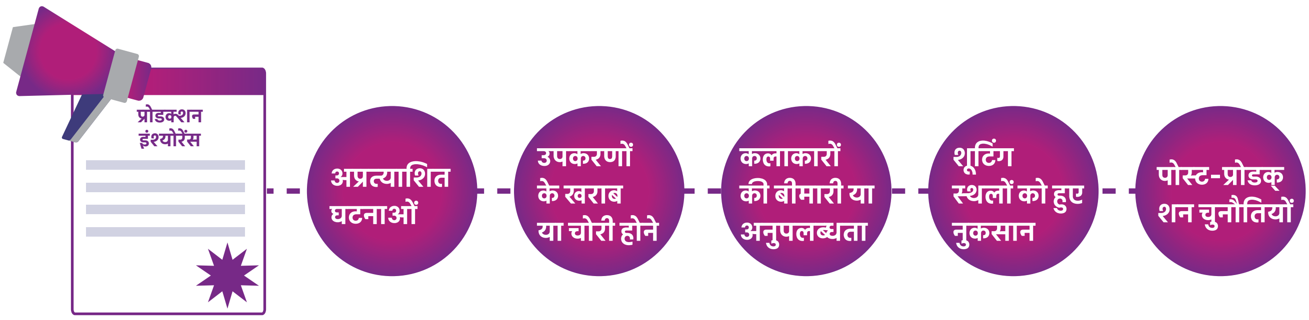

नेगेटिव फिल्म इंश्योरेंस जो कभी पारंपरिक सिनेमा के लिए आरक्षित था, अब इसे डिजिटल और ओटीटी परिवेश में डिजिटल मीडिया परिसंपत्तियों के नुकसान को कवर करने के लिए अपनाया गया है। ये उपाय सुनिश्चित करते हैं कि प्रोडक्शन बिना किसी विनाशकारी वित्तीय नुकसान के भौतिक या कर्मचारी संबंधी व्यवधानों से उबर सकें।

साथ ही, रैखिक (लीनियर) मनोरंजन से डिजिटल मनोरंजन[19] की ओर बदलाव ने जोखिम, खासकर कंटेंट वितरण और साइबर खतरों के संदर्भ में एक नए युग की शुरुआत की है। बीमा कंपनियां अब विशिष्ट डिजिटल कंटेंट सुरक्षा नीतियां प्रदान करती हैं, जिनमें साइबर लायबिलिटी कवरेज, क्लाउड-स्टोर्ड फुटेज और मेटाडेटा जैसी डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा, स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म अनुपालन सुरक्षा उपाय और कंटेंट वितरण विफलताओं के लिए बीमा शामिल हैं। ये नीतियां ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ जुड़ने वाले निर्माताओं के लिए आवश्यक हैं, जहां कड़े तकनीकी वितरण मानकों को पूरा किया जाना चाहिए।

भारतीय मनोरंजन बीमा बाजार[20] तेज़ी से बढ़ रहा है, जो बढ़ती जागरुकता और मांग को दर्शाता है। 2024 में यह 181.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, इसके 2030 तक 373.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 12.85% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ रहा है। यह विस्तार न केवल प्रोडक्शन के बढ़ने से, बल्कि वित्तपोषण संरचनाओं और वितरक नियमों में बीमा के एकीकरण से भी प्रेरित है। चूंकि वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म पर ई एंड ओ, टाइटल और साइबर कवरेज के प्रमाण की मांग बढ़ती जा रही है, इसलिए भारतीय निर्माताओं पर अंतर्राष्ट्रीय जोखिम मानकों को अपनाने का दबाव बढ़ रहा है।

इन जोखिमों को सक्रिय रुप से कम करने के लिए, निर्माता व्यवस्थित आईपी पोर्टफोलियो आकलन की ओर रुख कर रहे हैं। इनमें नियमित मूल्यांकन अपडेट, राइट्स डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट, क्षेत्र-विशिष्ट कानूनी विश्लेषण और डिजिटल अधिकार प्रबंधन प्रणालियों की

[17]https://avonriverventures.com/case-studies-successful-ip-backed-financing-deals/
[18]https://www.businesstoday.in/personal-finance/insurance/story/what-is-film-insurance-heres-what-you-need-to-know-if-youre-producing-a-movie-450975-2024-10-22
[19]https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-in/insights/media-entertainment/images/ey-shape-the-future-indian-media-and-entertainment-is-scripting-a-new-story.pdf
[20] https://www.techsciresearch.com/report/india-entertainment-insurance-market/27845.html

आवधिक समीक्षा शामिल है। इस तरह की उचित सावधानी से प्रोडक्शन हाउस खामियों की जल्द पहचान कर सकते हैं और सौदों को अंतिम रुप देने से पहले दस्तावेज़ीकरण या अनुपालन संबंधी कमियों को दुरुस्त कर सकते हैं।

अनुपालन ढांचे भी अधिक कठोर होते जा रहे हैं।[21] ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म कंटेंट के वर्गीकरण मानकों, प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट दिशानिर्देशों और भारत में आईटी नियम, 2021 जैसे लागू राष्ट्रीय कानूनों का कड़ाई से पालन करने की मांग करते हैं। डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कान्ट्रैक्ट में अधिकारों के स्वामित्व, कंटेंट संबंधी मंज़ूरी और नैतिक अधिकारों की छूट के संबंध में अंतर्निहित सुरक्षा उपायों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इन अनुपालन मानकों को पूरा न करने पर निष्कासन, मुकदमे या बीमा दावों से इनकार किया जा सकता है।

उद्देश्य-निर्मित बीमा तंत्रों के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा को और बढ़ाया जाता है। इनमें राजस्व स्रोत संरक्षण (जैसे, वितरण विवादों के कारण विज्ञापन राजस्व या सिंडिकेशन में देरी होने पर), अप्रतिबंधित या कम-प्रतिबंधित उपयोग से बचाव के लिए रॉयल्टी बीमा, और मानहानि, कॉपीराइट उल्लंघन या गोपनीयता भंग से उत्पन्न होने वाले दावों से बचाव के लिए तृतीय-पक्ष देयता कवरेज शामिल हैं। अधिक-बजट वाले कंटेंट का समर्थन करने वाले फाइनेंसरों के बीच निवेश हानि न्यूनीकरण बीमा भी लोकप्रिय हो रहा है, जिससे उन्हें प्रोडक्शन के विफल होने की स्थिति में अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा वापस पाने में मदद मिलती है।

VII. वैकल्पिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और राजस्व स्त्रोत

तेज़ी से बदलता मीडिया परिदृश्य भारतीय निर्माताओं के लिए पारंपरिक थियेटर डिस्ट्रीब्यूशन की सीमाओं से परे विविध और प्रभावी मोनेटाइजेशन के अवसर पैदा कर रहा है। विशेष रुप से क्षेत्रीय बाज़ार इस बदलाव के प्रमुख कारक के रुप में उभरे हैं। हालिया आंकड़े[22] बताते हैं कि रीजनल क्षेत्रों में सकल बॉक्स ऑफिस संग्रह अकेले 2025 की पहली तिमाही में ₹1,000 करोड़ से अधिक हो गया। यह रुझान भाषा-विशिष्ट स्टोरीटेलिंग के प्रति दर्शकों की बढ़ती रुचि और क्षेत्रीय रुप से लक्षित वितरण रणनीतियों में निवेश की आर्थिक व्यवहार्यता को दर्शाता है।

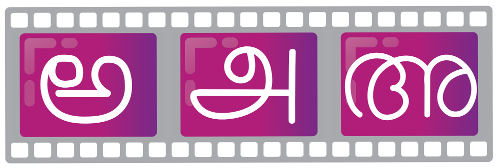

तेलुगू सिनेमा[23] न केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, बल्कि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी बाज़ारों में भी रीजनल बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए हुए है। निर्माता अब हिंदी और बंगाली भाषी क्षेत्रों में तेलुगू, तमिल और मलयालम फ़िल्मों के डब संस्करणों को रणनीतिक रुप से लाइसेंस दे रहे हैं, साथ ही सांस्कृतिक रुप से प्रासंगिक रीमेक के रुपांतरण अधिकारों से लाभ कमा रहे हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के साथ साझेदारी डिस्ट्रीब्यूशन की संभावनाओं का विस्तार कर रही है और बिना किसी थिएटर ओवरहेड की आवश्यकता के कंटेंट को हाइपरलोकल दर्शकों तक पहुंचने में मदद कर रही है।

शैक्षिक और संस्थागत लाइसेंसिंग वैकल्पिक मोनेटाइजेशन का एक और उभरता हुआ क्षेत्र है। शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय केस स्टडी, वृत्तचित्रों और स्टोरीटेलिंग के मॉड्यूल के माध्यम से पाठ्यक्रम में रचनात्मक कंटेंट को तेज़ी से शामिल कर रहे हैं। लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स और डिजिटल शिक्षा प्लेटफ़ॉर्म ने बहुभाषी प्रशिक्षण में मदद के लिए सांस्कृतिक रुप से महत्वपूर्ण फ़िल्मों को लाइसेंस देना शुरु कर दिया है। दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा संचालित सांस्कृतिक आदान-प्रदान पहल भी लाइसेंसिंग राजस्व में योगदान करती हैं, जिससे निर्माताओं को व्यावसायिक प्लेटफ़ॉर्म के अलावा लंबी अवधि के लिए धन उपलब्ध होता है।

टेलीविज़न सिंडिकेशन, खासकर भारत के फलते-फूलते क्षेत्रीय टीवी बाज़ार में एक स्थिर और बढ़ता हुआ राजस्व स्रोत बना हुआ है। कनेक्टेड टीवी (सीटीवी)[24] का उदय, जिसके 2025 तक 6 करोड़ से ज़्यादा भारतीय घरों तक पहुंचने की उम्मीद है और कंटेंट उपभोग के पैटर्न को नया रुप दे रहा है। सिंडिकेशन सौदों में अब अक्सर एपिसोडिक कंटेंट, आर्काइव लाइब्रेरी और यहां तक कि दूसरे और तीसरे दौर के टीवी दर्शकों के लिए तैयार की गई मिनी-सीरीज़ भी शामिल हैं। क्षेत्रीय प्रसारकों को लाइसेंस देना एक महत्वपूर्ण विकल्प बना हुआ है, खासकर जब एक ही प्रोडक्शन हाउस के पुराने कैटलॉग के कंटेंट के साथ बंडल किया जाता है।

फेस्टिवल सर्किट रणनीतियों और क्षेत्र-विशिष्ट लाइसेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों[25] का भी दोहन किया जा रहा है। सह-निर्माण समझौते और अंतर्राष्ट्रीय बिक्री एजेंट इन सौदों की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कान्स, बर्लिनेल और बुसान जैसे वैश्विक बाज़ारों में भाग लेने वाले भारतीय निर्माता अब क्षेत्रीय अधिकारों के मोनेटाइजेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां बिक्री अक्सर भाषा, क्षेत्र और प्रारुप के आधार पर विभाजित होती है। अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशीलता के साथ विकसित या अंतर-सांस्कृतिक

[21] https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=956c409e-0b5b-4a41-96ac-b045669449cd
[22] https://www.ormaxmedia.com/insights/stories/the-india-box-office-report-january-2025.html
[23] https://www.radiocity.in/entertainment/news/tollywood-s-ascent-dominating-the-indian-box-office-in-20242025-14241
[24] https://www.storyboard18.com/how-it-works/co-existential-crisis-ctv-to-surpass-pay-tv-subscribers-base-of-60-mn-in-2025-52318.htm
[25] https://www.screendaily.com/features/with-indian-stories-booming-globally-film-bazaar-plots-its-biggest-edition-yet/5199313.article

जीवंतता वाले विषयों पर आधारित कंटेंट ऐसे निर्यात के लिए विशेष रुप से उपयुक्त है।
आज राजस्व को बेहतर बनाने के लिए विंडो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। निर्माता थिएटर, डिजिटल, सैटेलाइट और शैक्षिक रिलीज़ की सावधानीपूर्वक योजना बना रहे हैं ताकि कैनिबलाइजेशन को कम किया जा सके और विभिन्न फ़ॉर्मेट में राजस्व को अधिकतम किया जा सके। प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट विशिष्टता अवधि वितरकों के बीच प्रतिस्पर्धी बोली लगाने में मदद करती है, जबकि फ़ॉर्मेट-आधारित लाइसेंसिंग ऑडियो, वीडियो और प्रचार परिसंपत्तियों का अलग-अलग उपयोग संभव बनाती है। राइट्स बंडलिंग अब एक मानक चलन है, जिसमें वाणिज्यिक अधिकार, क्षेत्रीय भाषा संस्करण, शैक्षिक पहुंच और आर्काइव के उपयोग को शामिल किया जाता है।

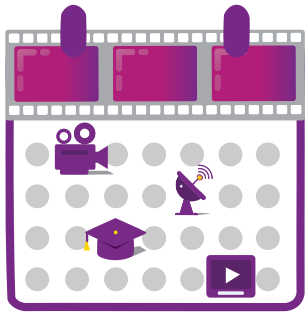

शार्ट-फ़ॉर्म कंटेंट भी मोनेटाइजेशन के नए रास्ते खोल रहा है। क्लिप, टीज़र और एक्सक्लूसिव बिहाइंड-द-सीन सेगमेंट को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ब्रांड और डिजिटल पत्रिकाओं के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है। संकलनों के लिए यूजर-जनरेटेड कंटेंट अनुमतियां और लाइसेंसिंग तेज़ी से औपचारिक होती जा रही हैं, जबकि मीम्स, जीआईएफ और मोबाइल ऐप्स के लिए क्लिप लाइसेंसिंग प्रोग्राम उस कंटेंट से शेष राजस्व प्रदान करते हैं जिसे कभी प्रचारात्मक या गैर-मुद्रीकरण योग्य माना जाता था।

व्यापक दृष्टिकोण से, उद्योग के अनुमान[26] इन नए मॉडलों की अपार संभावनाओं की पुष्टि करते हैं। वैश्विक फिल्म और वीडियो बाजार 2024 में 308.47 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 328.49 बिलियन हो जाएगा, जिसमें भारत एक प्रमुख योगदानकर्ता होगा। अकेले भारतीय स्मार्ट टीवी बाजार के 2025 में 61.99 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2034 तक 264.69 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इस बीच, रीजनल कंटेंट की मांग 15-20% की सीएजीआर से बढ़ रही है। कुल मिलाकर, ये सभी रुझान एक व्यापक वितरण रणनीति के महत्व को प्रमाणित करते हैं जो व्यावसायिक व्यवहार्यता और सांस्कृतिक पहुंच के बीच संतुलन बनाती है

[26] https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/film-and-video-global-market-report